रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CL 27/3/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 503] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1985/कार्तिक 24, 1907
No. 503] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1985/KARTIKA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1985

सं. 236/85-केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा.का.नि. 850(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 2 के खंड (फक) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन और फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन को "मुक्त व्यापार ज़ोन" विनिर्दिष्ट करती है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(1) "मद्रास निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन" से मीनाबक्कम विमान पत्तन, तमिल नाडु के निकट का वह मद्रास निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन अभिप्रेत है, जिसमें मद्रास के पत्तन से 24 किलोमीटर की दूरी पर और मद्रास राष्ट्रीय विमान पत्तन से 6 किलोमीटर तथा मद्रास अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तमिलनाडु में वशंगलपट्टू जिसे में सैयदपेट तालुक के काडापेरी ग्राम के सर्वेक्षण सं. 132/1ए2, 1बी2, 134/1-2, 3बी, 135/2, 143/2ए, 144/1, 145 146/1, 147/1, और 164/1 (भाग) के स्थान समाविष्ट हैं और जो स्थल की दशा के अनुसार 3–35 मीटर से 3–85 मीटर की विभिन्न ऊंचाइयों की ईंट की चिनी हुई दीवार से और उसके ऊपर 1–2 मीटर की और ऊंचाई तक "बार्ब" वैगिल के कांटेदार तार से घिरा हुआ है जोकि उस क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोने से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर 258 मीटर तक जाती है, आगे 1045–2 मीटर तक दक्षिण की ओर घूमती है और 18 मीटर तक पूर्व की ओर घूमती है। तथा उत्तर पूर्व की ओर 262 मीटर की दूरी तक जाती है, उत्तर की ओर 70–8 मीटर तक जाती है और 157–7 मीटर पर पूर्व की ओर तक घूमती है, दक्षिण की ओर 154 मीटर तक जाती है और 227 मीटर पर पूर्व की ओर घूमती है, दक्षिण की ओर 96 मीटर तक जाती है, 72 मीटर तक पूर्व की ओर घूमती है और इसके आगे मुख्य जी.एस.टी. रोड के समानान्तर 86–4 मीटर तक दक्षिण की ओर, उत्तर पूर्व तक, बूसटर स्टेशन तक जाती है और पश्चिम की ओर 30 मीटर तक जाती है, 200 मीटर तक पश्चिम की ओर घूमती है, उत्तर की ओर 41 मीटर तक जाती है, पश्चिम को 99–8 मीटर तक, उत्तर की ओर 82–6 मीटर तक, पूर्व की ओर 304–4 मीटर तक टेढ़ी, दक्षिण की ओर 30 मीटर तक

बूस्टर स्टेशन के चारों ओर तथा उत्तर की ओर 111 मीटर तक घूमती है और पश्चिम की ओर 34 मीटर तक जाती है, और इस प्रकार कुल 3,379–9 मीटर की परिधि के क्षेत्र को यह ईंट की चौहद्दी दीवार घेरती है।

(2) "फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन" से पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में वह फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें नीचे विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्या समाविष्ट हैं और जो नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं से घिरा हुआ है।

सर्वेक्षण संख्यांक

मौजा : बिसरा, जे. एल. सं. 1, पी. एस. डायमंड हार्बर

(क) प्लाट संख्यांक जो क्षेत्र के सीमावर्ती हैं।

पूर्व : 60, 62, 70, 71, 72, 73, 94, 598, 599, 107, 159, 156, 157, 179, 178, 176।

दक्षिण : 440, 441, 442, 444, 443, 1106, 1107, 7, 6, 0, 9, 5522, 561।

पश्चिम : 436, 454, 460, 516, 520, 303, 302, 296, 295, 294, 293, 661, 562, 563।

उत्तर : 569, 571, 573, 580।

(ख) डम्प सं. 1 के भीतर के प्लाट

1107, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 452, 451, 483, 481, 402, 479, 478, 477, 480, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498, 499, 500, 501, 509, 502, 464, 465, 466, 467, 468 469, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 601, 602, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 566, 567, 569, 569, 593, 595, 597, 598, 599, 600, 570, 576।

ये प्लाट पश्चिम बंगाल राज्य के 24 परगना जिले में कलकत्ता के पत्तन से 45 किलोमीटर की दूरी पर थाना डायमंड हार्बर में मौजा बिसरा जे. एल. सं. 1 में हैं और 3–3 मीटर ऊंची चिनाई की दीवार तथा ऊपर 15 मीटर तक फैले हुए कांटेदार तार से घिरे हैं जोकि उत्तर में लगभग 627 मीटर, दक्षिण में 989 मीटर, पूर्व में 400 मीटर और पश्चिम में 610 मीटर तक फैली है तथा जिसका कुल योग 2626 मीटर के लगभग है।

[फा. सं. 71/52/85—सी एक्स–2]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th November, 1985

NO. 236/85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 850(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Explanation 2 to the proviso to sub-section (1) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944, read with clause (va) of rule 2 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby specifies the Madras Export Processing Zone and FALTA Export Processing Zone as **"free trade zones"**.

Explanation.—For the purposes of this notification,—

(1) "Madras Export Processing Zone" means the Madras Export Processing Zone near Meenambakkam Airport in Tamil Nadu comprising of the places bearing survey numbers 132/1A2, 1B2, 134/1,2, 3B, 135/2, 143/2A, 144/1, 145, 146/1, 147/1 and 164/1 (part) of Kadapperi village of Saidapet Taluk, Chengalpattu District of Tamilnadu lying at a distance of 24 Kms. from the Port of Madras and 6 Kms. from Madras National Air Port and 8 Kms. from Madras International Air Port, enclosed by masonary brick wall to a height varying from 3.35 metres to 3.85 metres depending upon the site condition with 'Y' angle barbed wire fencing to a further height of 1.2 metres extending from the North-west corner of the area, which runsup to 258 metres towards North East, takes a turn towards south upto 1045.2 metres and takes a turn towards East 18 metres and North East to a distance of 262 metres, towards North 70.8 metres, turns towards East 157.7 metres, runs towards South 154 metres and turns towards East 227 metres, runs towards South 96 metres, turns towards East by 72 metres. Then it further runs parallel to the main G.S.T. road, by 86.4 metres towards South upto North East to Booster Station and runs towards West 30 metres, turns towards South 30 metres around the Booster Station and turns towards West upto 200 metres, runs towards North 41 metres, towards West by 99.8 metres, towards North by 84.6 metres, towards, East by 304.4 metres, in zig manner, towards North by 111 metres and towards West by 34 metres, covering a total circumsference of 3,379.9 metres of Brick Compound Wall;

(2) "FALTA Export Processing Zone" means the FALTA Export Processing Zone in the district of 24-Parganas, West Bengal comprising of the places bearing the survey numbers and enclosed by the boundaries specified below:—

SURVEY NUMBERS

Mouza : Bisra, J.L. No. 1, P.S. Diamond Harbour

(a) Plot Nos. bordering the Dump Area

EAST : 60, 62, 70, 71, 72, 73, 94, 598, 599, 107, 159, 156, 167, 179, 178, 176.

SOUTH : 440, 441, 442, 444, 443, 1106, 1107, 7, 6, 0, 9, 5522, 561.

WEST : 436, 454, 460, 516, 520, 303, 302, 296, 295, 294, 293, 661, 662, 663.

NORTH : 659, 591, 573, 580.

(b) Plots within the Dump Area

1107, 443, 442, 446, 447, 448, 449, 452, 451, 483, 481, 402, 479, 478, 477, 480, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498, 499, 500, 501, 509, 502, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 601, 602, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 566, 567, 568, 569, 593, 595, 597, 598, 599, 600, 570, 576.

In Mouza Bisra, J.L. No. 1, P.S. Diamond Harbour, in the District of 24-Parganas, State of West Bengal at a distance of 45 Kms. from the port of Calcutta, enclosed by 3.3 metres high masonary wall with barbed wire extending upto 15 metres at the top extending over approximately 627 metres on the north, 989 metres on the south, 400 metres on the east and 610 metres on the west totalling 2626 metres approximately.

[F. No. 71/52/85-CX.2]

237/85/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 851 (अ)—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, उत्पाद-शुल्क माल को जब वे भारत के अन्य भागों में स्थित उनके विनिर्माण के कारखानों या भांडागारों से, एकमात्र रूप में निर्यात के लिए आशयित माल के उत्पादन के लिए या ऐसे माल के उत्पादन की बाबत मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में, जो कि मुक्त व्यापार जोन है, अवस्थित उद्योगों द्वारा उपयोग के लिए उक्त जोन में लाए जाएं—

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से, और

(ii) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात :—

(क) परेषिती जोन में विनिर्माण यूनिट या यूनिटों की स्थापना करने के लिए प्राधिकृत है ;

(ख) परेषिती उत्पाद-शुल्क माल सीधे विनिर्माण के कारखाने या भांडागार से लाता है ;

(ग) इस प्रकार लाए गए समस्त उत्पाद-शुल्क माल परेषिती द्वारा या उस की ओर से जोन से एकमात्र रूप से निर्यात के लिए आशयित माल के विनिर्माण के लिए या ऐसे माल के विनिर्माण की बाबत उपयोग में लाए जाते हैं और ऐसे सभी विनिर्मित माल निर्यात किए जाते हैं; और

(घ) इस अधिसूचना के परिशिष्ट में उपवर्णित प्रक्रिया का जोन में अनुसरण किया जाता है।

2. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, जोन में उत्पादित या विनिर्मित माल की जोन के बाहर देशी उपयोग के लिए निकासी, उतनी मात्रा तक और ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् विकास आयुक्त कहा गया है) विनिर्दिष्ट की जाएं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन ऐसे माल पर उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क का संदाय करने पर, की जा सकती है।

3. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए 'मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में ऐसे स्थान सम्मिलित हैं जिनके निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्यांक है, और जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में/85, तारीख नवम्बर, 1985 में विनिर्दिष्ट सीमाओं से घिरा है।

परिशिष्ट

जोन में उपयोग के लिए शुल्क-मुक्त उत्पाद-शुल्क माल के "निबन्ध-पत्राधीन" संचलन को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में प्लाट धारकों द्वारा शुल्क-मुक्त माल अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन।

(क) यदि कोई व्यक्ति जोन में स्थित अपने कारखानों या भांडागार में अपने उपयोग के लिए शुल्क-मुक्त माल अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह, विकास आयुक्त द्वारा विहित उचित प्ररूप में विकास आयुक्त को लिखित आवेदन करेगा जिसमें वह, उत्पाद-शुल्क माल का अपेक्षित वार्षिक परिमाण और वह प्रयोजन और रीति जिसमें ऐसे माल का उपयोग करना आशयित है, और यह घोषणा कि वह माल ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा केवल ऐसी रीति में ही उपयोग में लाया जाएगा, कथित करेगा। विकास आयुक्त या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, आवेदन की ऐसी जांच करने के पश्चात्—जो वह ठीक समझे, आवेदन को मंजूर कर सकेगा और तब आवेदक नीचे उपाबन्ध ध-1 से ध-4 तक में दिए गए प्ररूप में, ऐसे प्रतिभूति या पर्याप्त प्रतिभूति सहित, ऐसी रकम की और ऐसी शर्तों के अधीन जो विकास आयुक्त अनुमोदित करे, बंध-पत्र निष्पादित करेगा। किन्तु विकास आयुक्त विनिर्माता द्वारा यथा प्रस्तुत परिमाण तक उतनी मात्रा तक जितना विकास आयुक्त इस आशय के प्रार्थना के आने पर बढ़ाने उत्पाद शुल्क माल के लिए आने की अनुज्ञा प्रदान करेगा। यह रियायत प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त हो जाएगी किन्तु यदि विकास आयुक्त या सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी, किसी प्रतिकूल कारण के न होने पर उसका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

परन्तु मृत्यु, दिवालिया या प्रतिभू के अपर्याप्त हो जाने की दशा में, या बंध-पत्र की रकम अपर्याप्त होने पर, विकास आयुक्त या सम्यक रूप से प्राधिकृत उसका अधिकारी, स्वविवेकानुसार, नए बंध-पत्र, की मांग कर सकेगा और यदि बंध-पत्र के लिए दी गई प्रतिभूति पर्याप्त नहीं है, तो वह अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग कर सकेगा।

आवेदन मंजूर होने और आवेदक द्वारा बंध-पत्र निष्पादित किए जाने के पश्चात सुरक्षा अधिकारी, नीचे उपाबन्ध ङ में दिए गए प्ररूप में यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि—

(i) आवेदक जोन का वास्तविक प्लाट धारक है;

(ii) उसने नीचे उपाबन्ध ध-1 से ध-4 तक में दिए गए प्रारूप में जोन प्राधिकारियों को बंध-पत्र निष्पादित कर दिया है, जिसमें बंध-पत्र की संख्यांक और विशिष्टियां दिखाई गई हैं;

(iii) प्रमाण-पत्र पर आयातकर्ता के प्राधिकृत अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर असली हैं और वह उसे अनुप्रमाणित करेगा। प्रमाणपत्र सुरक्षा अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत डाक (रसीदी सहित) के अधीन उस कारखाने या भांडागार को भेजा जाएगा जिसमें माल अभिप्राप्त किया जाना है। प्रमाणपत्र की एक प्रति सुरक्षा अधिकारी द्वारा उस कारखाने या भांडागार के रेन्ज के भारसाधक अधीक्षक को भी भेजी जाएगी जहां से माल प्राप्त होता है।

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन को माल का हटाया जाना

(ख) उपर्युक्त प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर वह कारखाना या भांडागार (परेषिती) जहां से माल हटाया जाता है, एक भांडागार से दूसरे भांडागार को शुल्क असंवत्त माल हटाने के लिए जोन के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार उपाबन्ध ध-1 से ध-4 तक में बंध-पत्र की संख्या और तारीख स्पष्ट रूप से बताते हुए नीचे उपाबंध क में दिए गए प्रारूप में, चार प्रतियों में, एक आवेदन तैयार करेगा। नीचे उप-बंध में माल हटाए जाने के लिए आवेदन को क्रम संख्यांकित किया जाना चाहिए। क्रम संख्या वित्तीय वर्ष के अनुसार होनी चाहिए। क्रम सं. सभी प्रतियों पर लिखी जानी चाहिए। यदि माल हटाए जाने के लिए किसी आवेदन का, पत्राचार के अनुक्रम में, हवाला दिया जाता है तो कारखाने या भांडागार का नाम, नीचे उपाबन्ध क की क्रम संख्या और तारीख, निर्देश के लिए, सर्वथा उद्धृत करनी चाहिए। किन्तु परेषिती उचित अधिकारी को, माल के हटाए जाने के संबंध में, जब भी माल हटाए जाने की प्रत्याशा हो, उससे कम से कम बारह घंटे पहले, संसूचित करेगा।

पैकेजों का चिन्हांकन

(ग) पैकेजों को चिन्हांकित किया जाएगा और आवेदन में पता दर्ज किया जाएगा ।

जहां से माल हटाया जाना है वह कारखाना या भांडागार (परेषक)

(1) सुनिश्चित करेगा कि पैकेजों पर उचित चिन्हांकन किया गया है और संख्या दी गई है ।

(2) सुनिश्चित करेगा कि नीचे उपबंध क की सभी प्रतिलिपियों पर 'मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में उपयोग के लिए आशयित' शब्द सुव्यक्त रूप से चिन्हांकित कर दिए गए हैं ।

(3) जिस कारखाने या भांडागार से माल को हटाया जाना है उसका तथा जिस रेंज के भारसाधक अधीक्षक के अधीन वह कारखाना या भांडागार आता है और जिस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी से वह संलग्न है उनके पूरे पते देगा ।

यदि इनमें से कोई ऐसा माल भेजने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है तो भेजने वाले कारखाने या भांडागार द्वारा यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि रेंज के भारसाधक उत्पाद शुल्क अधीक्षक का जिला के नाम सहित, पूरा पता ठीक से लिख दिया गया है ।

गेट पास तैयार करना

(घ) प्रेषक अपने भांडागार से हटाए जाने वाले प्रस्तावित माल की बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के उपबंध य में प्ररूप गे.पा. 2 के गेट पास भी तैयार करेगा और उसके पश्चात् किसी भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के सत्यापन के बिना ही, अपनी ही ओर से माल को निकासी करेगा ।

उपाबंध क में की दस्तावेजों और गेट पासों का निपटारा

(ङ) प्रेषक नीचे उपाबंध क की मूल और तृतीय प्रति और गेट पास की मूल प्रति प्रेषण के साथ प्रेषिती को भेजेगा । नीचे उपाबंध क की द्वितीय प्रति प्रेषक विकास आयुक्त को भेजेगा । गेट पास की प्रति तथा नीचे उपाबंध क की चतुर्थ प्रति प्रेषक उसके कारखाने या भांडागार के भारसाधक अधिकारी को प्रस्तुत प्रेषण के हटाए जाने के चौबीस घंटे के भीतर, भेजेगा । उक्त भारसाधक अधिकारी नीचे ऐसी हटाई गयी वस्तुओं का लेखा उपाबंध ख में रखेगा ।

गन्तव्य स्थान पर कार्रवाई

(च) जोन के प्रशासन कार्यालय में आवेदन की द्वितीय प्रति प्राप्त होने पर, नीचे उपाबंध ग में दिए गए बंधपत्राधीन प्राप्तियों का अभिलेख" में परन्तु उसकी प्रविष्टि की जाएगी और सुरक्षा अधिकारी को उसी दिन भेज दी जाएगी । इस अभिलेख की प्रविष्टियों का, विकास आयुक्त द्वारा विहित 'कच्चे माल की अभिलेख' का संबंधित प्रविष्टियों से मिलान करके सत्यापन किया जाना चाहिए ।

आगे हिसाब देने का दायित्व

(छ) जोन में प्लाट धारक को, भारत के शेष भाग के किसी विनिर्माता से शुल्क अदत्त उत्पाद-शुल्क माल के परिदान के पश्चात, उस माल का उचित हिसाब रखने का दायित्व जोन के प्राधिकारियों का होगा ।

प्रेषण की प्राप्ति पर परीक्षा

(ज) (1) प्रेषिती अपने परिसर में प्रेषण के आने की सूचना जोन के सुरक्षा अधिकारी को अविलम्ब देगा और उसे माल निवारक अधिकारी द्वारा, जो इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जायेगा, उसकी जांच और परीक्षा की जाने तक, पृथक और अविकृत रूप में रखना चाहिए । निवारक अधिकारी माल का हिसाब लेने के पश्चात् चिह्नों और संख्याओं की सहायता से उसकी पहचान करेगा तथा पूरे प्रेषण की तौल करेगा । उसके पश्चात् वह सुरक्षा अधिकारी से प्राप्त द्वितीय प्रति और प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों की प्रथम तथा तृतीय प्रति पर पुनः भांडागारण प्रमाण-पत्र लिखेगा । द्वितीय प्रति माल हटाए जाने वाले कारखाने या भांडागार के भारसाधक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को सीधे और तृतीय प्रति प्रेषिती को वापस कर देगा जो, जो उस पर कमी या अधिक्य, यदि कोई है, नोट करने के पश्चात् उसे प्रेषक को भेजेगा ।

अभिग्रहन में कमियों/हानियों पर शुल्क

(2) चूंकि उपाबंध घ-1 से घ-4 तक में बंधपत्र (प्रतिभू/प्रतिभूति/साधारण प्रतिभू/साधारण प्रतिभूति) प्रेषिती द्वारा निष्पादित किया गया होगा अतः अभिग्रहन में अनुज्ञेय हानि को माफ करने के पश्चात्, कमी पर शुल्क उसी से मांगा जाएगा । प्रत्येक वस्तु के लिए हानि की पृथक अनुसूची बनाई जाएगी और विकास आयुक्त द्वारा जारी की जाएगी ।

पुनः प्रवेश

(झ) यदि आवेदन की द्वितीय प्रति जोन के सुरक्षा अधिकारी को, प्रेषिती द्वारा उसे माल के आने की रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व प्राप्त होती है तो वह उसे "उपाबंध क में के आवेदन की द्वितीय प्रति प्राप्त होने पर्यन्त" चिह्नित फाइल में सुरक्षित तथा क्रमवार रूप से सम्बित रखेगा तथा प्रेषण की विशिष्टियां उपाबंध-ग में यथाविहित अपने "बंध-पत्राधीन प्राप्तियों का अभिलेख" में अभिलिखित करेगा और प्रेषण के प्राप्त होते ही वह उपयुक्त पैरा "ज" में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

उत्पाद-शुल्क माल पर जिसका सम्यक् रूप से हिसाब नहीं दिया गया हो और जिसका निर्यात आदि के लिए माल के विनिर्माण में उपयोग किया गया हो, उद्ग्रहणीय शुल्क

(ञ) यदि इस प्रक्रिया के अधीन अभिप्राप्त किसी उत्पाद-शुल्क माल का इस बाबत सम्यक् रूप से हिसाब नहीं दिया जाता है कि उसका उपयोग केवल निर्यात के लिए अभिप्रेत माल के विनिर्माण में या ऐसे माल के विनिर्माण की बाबत ही किया गया है, या इस बाबत उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह बताया नहीं जाता है कि माल प्राकृतिक कारणों से अनुमोदित परिसर में भांडागारण या धराई/उठाई के दौरान अपरिहार्य दुर्घटनाओं से खो गया है या नष्ट हो गया है या विकास आयुक्त द्वारा विहित अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर कचरा या अपशिष्ट के रूप में माल व्ययन की अनुज्ञा दी गई है, तो आवेदन उचित अधिकारी की मांग पर ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय तुरन्त करेगा । यदि आवेदक या उसका अभिकर्ता या उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति प्रक्रिया भंग करता है तो विकास आयुक्त यह रियायत किसी भी समय वापिस ले सकेगा । ऐसे भंग की दशा में, विकास आयुक्त ऊपर पैरा (क) के अधीन निक्षिप्त प्रतिभूति के समपहरण का भी आदेश दे सकेगा और उत्पाद-शुल्क माल तथा आवेदक के परिसर में भंडार में रखे हुए ऐसे माल से विनिर्मित सभी माल का अधिहरण भी कर सकेगा ।

दूसरी प्रतियों का रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा भेजा जाना

(ट) पैरा (ङ) में निर्दिष्ट उपाबंध क में आवेदन की द्वितीय प्रति का प्रेषण सर्वदा रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा किया जाना चाहिए और डाक प्राप्ति की रसीद, प्रेषक द्वारा क्रमवार फाइल की जानी चाहिए और अपेक्षा की जाने पर कारखाने के भारसाधक उत्पाद-शुल्क अधीक्षक के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

गन्तव्य स्थान पर न पहुंचने वाले माल पर शुल्क की मांग

(ठ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 156(ख) के उपनियम (1) के अधीन यदि जोन के प्रेषिती को [पैरा (ज) (1) के अनुसार] भेजे गये उत्पाद-शुल्क्य माल के प्रेषण के पुनः भांडागारण प्रमाण-पत्र, माल के हटाए जाने से नब्बे दिन या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रेषक

को वापस प्राप्त नहीं होता है तो यह प्रेषक का दायित्व होगा कि वह अपने चालू खाते में नामे प्रविष्टि द्वारा प्रेषण पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय स्वयं करें । किन्तु, यह उपबंध किया गया है कि ऐसे मामलों में, जहां प्रेषक उचित अधिकारी को समाधानप्रद रूप में उपरोक्त उपदर्शित रीति में शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, पुनः भांडागारण का सबूत पेश कर देता है, तो वह आवेदन करके इस प्रकार संदत्त शुल्क के प्रतिदाय की मंजूरी प्राप्त करने का पात्र होगा ।

कारखाने या भांडागार का भारसाधक अधिकारी भी, जहां प्रेषण की बाबत जिसके बारे में पुनः भांडागारण प्रमाण-पत्र नियत अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है, शुल्क की मांग कर सकेगा । ऐसे मामलों में, यदि प्रेषक ने अपने चालू खाते में नामे प्रविष्टि करके प्रेषण पर उद्ग्रहण य शुल्क का पहले ही संदाय कर दिया है, तो वह मांग की सूचना के उत्तर में ऐसे निक्षेप की विशिष्टियों के बारे में भारसाधक अधिकारी को सूचित कर सकेगा ।

भांडागारण प्रमाणपत्र की अप्राप्ति के मामले में माल हटाए जाने वाले कारखाने या भांडागार के भारसाधक अधिकारी द्वारा कार्रवाई :

(ङ) यदि नीचे उपाबंध क [देखिए पैरा (ज)(1)] की द्वितीय प्रति माल हटाए जाने वाले कारखाने या भांडागार के भारसाधक अधिकारी को प्रेषण के हटाए जाने के एक मास के भीतर वापस नहीं की जाती तो जोन के सुरक्षा अधिकारी को पाक्षिक अन्तरालों पर नियमित रूप से स्मरण पत्र भेजे जाने चाहिए । यदि ऐसे स्मरणपत्रों के बावजूद भी आवेदन की द्वितीय प्रति प्रेषण के हटाए जाने की तारीख से दो मास के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो मामला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर को, जिसके भारसाधक में प्रेषक कार्यरत है, रिपोर्ट किया जाना चाहिए जो जोन के सीमा शुल्क सहायक कलक्टर को इसकी संसूचना जुरन्त देगा, और या तो इस बाबत समाधानप्रद सबूत प्राप्त करेगा कि प्रेषण जोन में आयातकर्ता को सम्यक् रूप से प्राप्त हो गया है या यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार गन्तव्य स्थान पर अप्राप्त माल पर उचित रूप से शोध्य शुल्क उपरोक्त पैरा (ङ) के अनुसार वसूल कर लिया गया है ।

शुल्क असंदत्त माल के उपयोग का सत्यापन :

(च) प्रेषिती द्वारा प्राप्त होने पर ऐसा माल (एकमात्र) निर्यात के लिए आशयित माल के विनिर्माण में या ऐसे माल के विनिर्माण की बाबत उपयोग में लिया जाएगा । जोन के सीमा शुल्क सहायक कलक्टर या सुरक्षा अधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि सभी शुल्क असंदत्त माल केवल निर्यात के लिए आशयित माल के विनिर्माण में या ऐसे माल के विनिर्माण की बाबत उपयोग में लाया गया है या विकास आयुक्त को समाधानप्रद रूप में उसका हिसाब दे दिया गया है ।

उपाबंध—क

प्ररूप—ए. आर. 3क

मूल प्रति
द्वितीय प्रति
तृतीय प्रति
चतुर्थ प्रति

भारत में बंध-पत्रित भांडागार से उत्पादन-शुल्क्य माल मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में किसी प्लाट को हटाए जाने के लिए आवेदन

मैं/हम.....जो प्ररूप.....में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अनुज्ञप्ति सं.....का धारक हूं/के धारक है, नीचे उल्लिखित माल को.....स्थित भांडागार से हटाकर मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन के श्री/मैसर्स.....के कारखाने को, जो प्लाट सं.....सैक्टर.....में स्थित है, हटाने की इजाजत पाने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

भांडागार रजिस्टर में प्रविष्ट की सं. और तारीख	माल का वर्णन	पैकेजों का वर्णन और संख्या	पैकेजों का कुल भार	पैकेजों के चिन्ह और सं.	माल का परिणाम
1	2	3	4	5	6

प्रथम भांडागारण की तारीख (केवल तंबाकू के मामले में)	मूल्य	शुल्क		परिवहन की रीति	टिप्पण
		कुल	रकम		
7	8	9	10	11	12

1. ध परेषक 1 स्वामी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता शब्दों और अंकों में प्रविष्टि करे ।

2. पूर्वोक्त श्री/मैसर्स.....ने गंतव्य स्थान पर, प्ररूप ग-5-क (प्रतिभू या प्रतिभूति) या खंड-5-क (साधा.-प्रतिभू) या (साधा. प्रतिभूति) सं.....तारीख.....में. रु. के लिए बंधपत्र निष्पादित किया है।

जो प्रविष्टियां लागू नहीं होती हैं उन्हें काट दें।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क..... के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से प्ररूप सी-टी-3 में प्रमाणपत्र संलग्न है।

3. मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सत्य हैं।

स्थान
तारीख

परेषक/स्वामी उसके/उनके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(1) हटाने के भांडागार पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी का प्रमाणपत्र ।

सेवा में,

सुरक्षा अधिकारी,

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन।

मैं प्रमाणित करता हूं कि परेषक सभी ब्यौरे उपरोक्त वर्णन के अनुरूप है और मैंने प्ररूप सं. सा. सं. तारीख में परिदत्त अनुज्ञा पत्र के अधीन रहते जाने की अनुज्ञा दी है।

स्थान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक

तारीख

(2) भांडागार पर मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन के निकासक अधिकारी का प्रमाणपत्र।

मैं प्रमाणित करता हूं कि मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन के सेक्टर के प्लाट सं. पर परेषण पहुंच गया है और माल सभी प्रकार, निम्नलिखित में कमियों के सिवाय, उपरोक्त 1 पैरा पृष्ठ 5 पर दिए गए वर्णन के अनुरूप है और उसको मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन के विकास आयुक्त द्वारा विहित, कस्टोडियन माल लेखा रजिस्टर में प्रविष्टि सं० तारीख को पुनः भांडागारण कर दिया गया है।

स्थान निकासक अधिकारी

तारीख मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन।

प्रपत्र—सी

रेंज अधिकारी बंधपत्रार्धीन हटाए गए माल का अभिलेख

क्रम सं., आर. 3 का., सं. और तारीख	हटाए जाने के कारखाने का नाम, पता और एल. 4 संख्यांक	माल		गंतव्य स्थान	खाट सं. ख-5 का बंधपत्र का सं. और तारीख और उसके निष्पादक (परेषक या परेषिती का नाम)	द्वितीय प्रति, आर. 3			
		वर्णन	मेकी गई शुद्ध मात्रा	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन के कारखाने का नाम, पता और एल. 4 संख्यांक	सेक्टर सं	गंतव्य स्थान पर सुरक्षा अधिकारी को भेजने की तारीख	वापसी के लिए जारी किए गए स्मरण पत्रों की तारीख		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

द्वितीय प्रति की वापसी की तारीख	मूल सकिल अधिकारी को अभिलेख के लिए भेजने की तारीख	क्या ए. आर. 3 सत्यापित प्रति परेषिती से परेषक को प्राप्त हुई है, हां/नहीं	पुनः भांडागारण की तारीख	अभिग्रहण में लाभ (+) या हानि (—) योग रकम 5 का प्रतिशत		यदि परेषक से बंधपत्र लिया गया है तो हानि होने पर की गई कार्रवाई	टिप्पण
11	12	13	14	15	16	17	18

उपाबंध-ग

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन प्रशासन बंधपत्राधीन

प्रतिभूतियों या अभिलेख मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन के लिए

क्र. सं.	सं. और ए. आर. 3 की तारीख	माल का वर्णन शुल्क की दर, पैकेजों की सं	शुद्ध मात्रा	परेषक का नाम एस-4 सं. और पता	ए. आर. 3 की द्वितीय प्रति	
	गेट पास				प्राप्ति की तारीख	वापसी की तारीख
1	2	3 4 5	6 7	8	9	10

अभिग्रहण में लाभ (+) या हानि (—)		यदि परिपक्वता से बंधपत्र लिया गया है तो हानि होने पर की गई कार्रवाई	टिप्पण
योग	स्तंभ 7 का प्रतिशत		
11	12	13	14

उपाबंध-घ-1

प्रपत्र सं-5-क- (प्रतिभू)

भारत में किसी बंधपत्रित भांडागार से हटाकर मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित किसी कारखाने को ले जाए गए उत्पाद-शुल्क्य माल के सम्यक् आगमन तथा पुनः भांडागारण के लिए (प्रतिभू के साथ) बंधपत्र

(जो शब्द और अक्षर लागू न हों उन्हें काट दें)

.....का/के मैं/हम (1)..... जो/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) और का/के मैं/हम (2) (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रतिभू कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति संयुक्ततः और पृथकतः रु. की रकम का भारत के राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए आबद्ध हैं/हैं, उस संदाय के लिए मैं/हम संयुक्ततः और पृथकतः स्वयं का और अपने विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूं/करते हैं ।

उक्त आबद्ध बाध्यताधारी को उसके/उनके आवेदन से तारीख में वर्णित माल को में स्थित बंधपत्रित भांडागार से हटाकर, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन के सेक्टर सं. के प्लाट सं पर स्थित कारखाने को ले जाने की अनुज्ञा दी गई है ।

इस बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि बाध्यताधारी और उसके/उनके विधिक प्रतिनिधि, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 और उसके ऐसे सभी संशोधनों के सभी उपबंधों का, या समय-समय पर इस प्रकार अन्तरित माल को शासत अनुपालन के लिए जारी किए जाएं, अनुपालन करते हैं;

और यदि सभी उक्त माल तारीख के पूर्व मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित कारखाने को सम्यकतः हटा दिया जाता है और उसमें भांडागारित कर दिया जाता है तो ;

यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ।

अन्यथा, और इस शर्त के किसी भाग के अनुपालन में भंग या चूक होने पर, यह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, ऐसे कार्यों के सम्पादन के लिए जिसमें जनता हितबद्ध है, केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन किया गया है।

स्थान

तारीख

बाध्यताधारी के/बाध्यताधारियों के

हस्ताक्षर

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

स्थान

प्रतिभू के हस्ताक्षर

तारीख

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उस उनकी ओर से मैंने इसे तारीख को स्वीकार किया।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ...

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन

उपाबंध-ध-3

प्ररूप, ख-5-(प्रतिभूति)

भारत में किसी भांडागार से हटाकर मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित किसी कारखाने को ले जाए गए उत्पाद-शुल्क्य माल के सम्यक् आगमन और पुनः भांडागारण के लिए (प्रतिभूति के साथ) बंधपत्र।

(जो शब्द और अक्षर लागू न हो उन्हें काट दें)

.....का/के मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति रु. की रकम का भारत के राष्ट्रपति को संदाय के लिए आबद्ध हूं। संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध हैं। इस संदाय के लिए मैं/हम स्वयं को और अपने विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूं। हम स्वयं को और अपने विधिक प्रतिनिधियों को संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करता हूं/करते हैं।

उक्त आबद्ध बाध्यताधारी को उसके/उनके आवेदन सं. तारीख में वर्णित माल को, के स्थित बंधपत्रित भांडागार से हटाकर मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, सेक्टर सं. के प्लाट सं. पर स्थित कारखाने को ले जाने की अनुज्ञा दी गई है। के उत्पाद शुल्क कलक्टर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कलक्टर कहा गया है)/विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् विकास आयुक्त कहा गया है) जो बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) से अपेक्षा की है कि वह/वे इस बंधपत्र की रकम, अर्थात् रुपये नकद/हमें आगे वर्णित रुपए की कुल अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां कलक्टर/विकास आयुक्त अर्थात् के पक्ष में पृष्ठांकित करे/करें ;

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) ने ऐसी प्रत्यावृत्ति पूर्ववर्णित रूप में नकद रकम/प्रतिभूतियां कलक्टर/विकास आयुक्त के पास निक्षिप्त कर दी है/हैं ;

इस बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि बाध्यताधारी तथा उसके/उनके विधिक प्रतिनिधि, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 और उसके ऐसे सभी संशोधनों के सभी उपबंधों का समय-समय पर इस प्रकार स्थानान्तरित माल की बाबत अनुपालन के लिए जारी किए जाएं, अनुपालन करते हैं ;

और यदि सभी उक्त माल, तारीख के पूर्व को सम्यकतः हटा दिया जाता है और उसमें पुनः भांडागारित कर दिया जाता है तो,

यह बाध्यता शून्य हो जाएगी।

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के अनुपालन में भंग या चूक होने पर, वह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा।

और भारत के राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर ऐसी सभी हानि क्षया नुकसानी की पूर्ति करने के लिए सक्षम होंगे जो उन्हें प्रत्यावृत्ति नियम की रकम से हो या उक्त लिखित बंध-पत्र के अधीन अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने में, या दोनों से हो।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, ऐसे कार्य के सम्पादन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है।

स्थान

तारीख

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों)

के हस्ताक्षर

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मैंने इसे आज तारीख को स्वीकार किया।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के

निर्यात प्रसंस्करण जोन

उपाबंध-IV-3

प्रकल्प ख-5-क (साधारण प्रतिभूति)

भारत में किसी बंध-पत्रित भांडागार से हटाकर, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित किसी कारखाने को ले जाए गए उत्पाद-शुल्क्य माल के सम्यक् आगमन तथा पुनः भांडागारण के लिए साधारण बंध-पत्र (प्रतिभूति के साथ)

(जो अक्षर और शब्द प्रयुक्त न हों, उन्हें काट दें)

.....का/के मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति रु. की रकम का भारत के राष्ट्रपति को संदाय के लिए आबद्ध हूं। संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध हैं इस संदाय के लिए मैं/हम स्वयं को और अपने विधिक प्रतिनिधियों का आबद्ध करता हूं । संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करते हैं ।

उक्त आबद्ध बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) को उसके/उनके आवेदन सं तारीख में वर्णित माल को में स्थित बंधपत्रित भांडागार से हटाकर, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित कारखाने में ले जाने या वहां से ऐसे किसी माल को ऐसे भांडागार ले जाने की अनुज्ञा इस शर्त पर दी गई है कि वह/वे यह कार्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के उपबंधों का पालन करते हुए करेगा/करेंगे ।

..... के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कलक्टर कहा गया है) विकास आयुक्त मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, (जिसे इसमें इसके पश्चात् विकास आयुक्त कहा गया है) बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) से अपेक्षा करे कि वह/वे इस बंधपत्र की रकम, अर्थात् रुपये की नकद/इसमें आगे वर्णित रुपए की कुल । अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां कलक्टर विकास आयुक्त, मद्रास के पक्ष में पृष्ठांकित करे/करें ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) ने ऐसी प्रत्याभूति नकद रकम/प्रतिभूतियां कलक्टर विकास आयुक्त के पास निक्षिप्त कर दी है/हैं ।

इस बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि यह बाध्यताधारी या उसके/उनके प्रतिनिधि उन नियमों और उनके सभी संशोधनों के उपबंधों का, जो समय-समय पर इस प्रकार स्थानान्तरित माल के बारे में अनुपालन के लिए समय-समय पर जारी किए जाएं, अनुपालन करते हैं ;

और यदि उक्त माल, अन्तस्थ स्थान के बंधपत्रित भांडागार (भांडागारों) को, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है, ऐसे समय के भीतर जैसा उचित अधिकारी निर्देश दें, हटा दिया जाता है और उसमें पुनः भांडागारित कर दिया जाता है, तो :

यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ।

अन्यथा और उक्त शर्त के किसी भंग के अनुपालन में भूल या चूक होने पर वह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा ।

और भारत के राष्ट्रपति अपने विकल्प पर ऐसी सभी हानि तथा नुकसान की पूर्ति करने के लिए सक्षम होंगे जो उन्हें प्रत्याहृति, निक्षेप की रकम में से हो, या इस लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने में या दोनों से, हो ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि यह बंध-पत्र ऐसे कार्य के सम्पादन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ।

स्थान

तारीख

बाध्यताधारी/बाध्यताधारियों के

हस्ताक्षर

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से आज तारीख को स्वीकार किया ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन

उपबन्ध-ब-4

प्ररूप ब-5 क (साधारण प्रतिभूति)

भारत में किसी बंध पत्रित भांडागार से हटाकर मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित किसी कारखाने को ले जाए गए उत्पाद-शुल्क माल के सम्यक आगमन तथा पुनः भांडागारण के लिए साधारण बंधपत्र (प्रतिभू/प्रतिभूओं के साथ)

(जो अक्षर और शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें)

..... का/के मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति रु. की राशि के लिए आबद्ध हूं और

(i) मैं/हम (जिसे-जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "प्रथम प्रतिभू" कहा गया है) और (ii) मैं/हम (जिसे जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय प्रतिभू" कहा गया है) और (iii) मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात "तृतीय प्रतिभू" कहा गया है) और (iv) मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "चतुर्थ प्रतिभू" कहा गया है), (जो सभी इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप में प्रथम प्रतिभू, द्वितीय प्रतिभू, तृतीय प्रतिभू चतुर्थ प्रतिभू कहे गए हैं ।)

मैं/हम और हमारे में से प्रत्येक संयुक्तः और पृथकः भारत के राष्ट्रपति के प्रति रु. की राशि के लिए और भारत के राष्ट्रपति को ऐसी राशि के संदाय के लिए क्रमशः आबद्ध हूं/हैं ।

इस संदाय के लिए मैं/हम बाध्यताधारी स्वयं को और अपने विधिक प्रतिनिधित्यों को आबद्ध करता हूं/करते हैं और मैं/हम, तत्परिणामित प्रथम प्रतिभू द्वितीय प्रतिभू, तृतीय प्रतिभू और चतुर्थ प्रतिभू स्वयं को और अपने विधिक प्रतिनिधियों को पृथकतः आबद्ध करता हूं/करते हैं ।

उक्त आबद्ध बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) को उसके/उनके आवेदन सं तारीख में वर्णित माल को में स्थित बंधपत्रित भांडागार से हटाकर मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित कारखाने से जाने और वहां से ऐसे माल को ऐसे किसी माल को ऐसे भांडागार ले जाने की अनुज्ञा इस शर्त पर दी गई है कि वह/वे यह कार्य केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के उपबंधों का पालन करते हुए करेगा/करेंगे ।

इस बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि वह बाध्यताधारी या उसके/उनके प्रतिनिधि उक्त नियमों और उसके सभी संशोधनों के उपबंधों का, जो समय-समय पर इस प्रकार स्थानान्तरित माल के बारे में अनुपालन के लिए समय-समय पर जारी किए जाएं, अनुपालन करते हैं ;

और यदि उक्त माल, गन्तव्य स्थान के बंधपत्रित भांडागार (भांडागारों) को, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है, ऐसे समय के भीतर जैसा उचित अधिकारी निदेश दे, हटा दिया जाता है और उसमें पुनः भांडागारित कर दिया जाता है तो,

यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ।

अन्यथा और इस शर्त में किसी भाग के अनुपालन में भंग या चूक होने पर वह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र ऐसे कार्य के सम्पादन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ।

स्थान बाध्यताधारी/बाध्यताधारियों के हस्ताक्षर

तारीख

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

स्थान

तारीख प्रतिभू/प्रतिभूओं के हस्ताक्षर

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उसकी ओर से आज तारीख को स्वीकार किया ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन

उपाबंध-क

[मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन]

सं. तारीख

प्ररूप जी. टी. 3

बंधपत्र के अधीन धारणागत भाग को हटाने के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(1) श्री/मैसर्स (नाम और पता) मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में वस्तुत : प्लाट धारक है/हैं,

(2) उसने/उन्होंने रुपये के लिए प्ररूप 5-ख (प्रतिभू) (प्रतिभूति) (साधारण प्रतिभू) (साधारण प्रतिभूति) में एक बंधपत्र सं तारीख मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन प्राधिकारियों को निष्पादित कर दिया है और इसलिए उसे/उन्हें यह अनुज्ञा दी जा सकती है कि वह/वे (परिगाम तथा उत्पाद मुख्य माल का उल्लेख करें) को स्थित कारखाने से हटाकर मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में कारखाने को ले जाए/जाएं ।

(3) स्वामी या उसके/उनके प्राधिकृत अधिकर्ता, के अर्थात् के सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए है ।

सुरक्षा अधिकारी

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन

स्वामी या उसके प्राधिकृत
अधिकर्ता के नमूना-हस्ताक्षर
(हस्ता०)
अनुप्रमाणित
सुरक्षा अधिकारी

[फा. सं. 71/52/85-एक्स. 2]

NO. 237/85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 851(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempt excisable goods when brought into Madras Export Processing Zone, being a free trade zone (hereinafter referred to as the Zone) from the factories of their manufacture or warehouses situated in other parts of India for use by the industries located in the Zone for the production of goods or in connection with production of goods intended solely for export from the whole of :—

(i) the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and

(ii) the additional duty of excise leviable thereon under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957),

subject to the folowing conditions, namely :—

(a) the consignee is authorised to establish manufacturing unit or units in the Zone;

(b) the consignee brings the excisable goods directly from the factory of manufacture or warehouse;

(c) the entire excisable goods so brought are used by or on behalf of the consignee in the Zone for the production of goods or in connection with the production of goods solely meant for export and all such goods are exported; and

(d) the procedure set out in the Appendix to this notification is followed in the Zone.

2. Notwithstanding anything contained in this notification the goods produced or manufacture in the Zone may be cleared for home consumption outside the Zone in such quantity and subject to such limitations and conditions as may be specified by the Development Commissioner of the Zone (hereinafter referred to as the Development Commisioner), on payment of duty of excise leviable on such goods under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

3. For the purpose of this notification, the "Madras Export Processing Zone" shall comprise the places bearing the survey numbers and enclosed by the boundaries specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 236/85-Central Excises, dated 15th November, 1985.

APPENDIX

Procedure to regulate 'inbond' movement of duty free excisable goods for use in the Zone,

Application for obtaining duty free goods by plot holder at Madras Export processing Zone.

(a) Any person intending to obtain duty free goods for use by him in his factory or warehouse situated in the Zone shall make an application in writing to the Development Commissioner in proper form to be prescribed by the Development Commissioner, stating

therein the annual quantity ot the excisable goods required and the purpose for and the manner in which such goods are intended to be used and declaring that the goods will be used for such purpose and in such manner only. The Development Commissioner or any officer duly authorised by him may grant the application after causing such inquiries to be made as he may deem fit and the applicant shall then enter into a bond in the torm given in Annexure D1 to D4 below with such surety or sufficient security, in such amount and under such conditions as the Development Comissioner may approve. The Development Commissioner may, however, allow the annual quantity of excisable goods to be brought as furnished by the manufacturer or such quantity as the Development Commissioner may extend on a request to that effect. The concession shall expire on the 31st December every year, but may be reviewed if the Development Commissioner or a duly authorised officer sees no reason to the countrary :

Provided that, in the event of death, insolvancy or insufficiency of the surety, or where the amount of the bond is inadequate, the Development Commissioner or his duly authorised officer may, in his discretion, demand a fresh bond, and may, if the security furnished for a bond is not adequate, demand additional security.

After the grant of the application and execution of bond by the applicant, the security officer will issue a certificate, in the form given in Annexure E below certifying that ;

(i) the applicant is a bonafide plot holder of the Zone;

(ii) has executed a bond in the form given in Annexure D1 to D4 below with the Zone authorities showing the number and particulars of the bond; and

(iii) that the specimen signatures of the authorised agent of the importer furnished on the body of the certificate is genuine and he would attest it. The certificate will be sent by the security officer under registered post (acknowledgement due) to the factory or warehouse from which the goods are to be obtained. A copy of the certificate will also be sent by the security officer to the Superintendent of Central Excise incharge of the range under which the factory or warehouse, from where the goods are to be received, falls;

Removal of goods to Madras Export Processing Zone.

(b) On receipt of the aforesaid certificate the factory or warehouse (consignor) from where the goods have to be removed shall prepare an application in the form given in Annexure A below in quadruplicate for removal of non-duty paid goods from one warehouse to another mentioning clearly the number and date of the bond in Annexure D1 to D4 as per the certificate issued by the Security Officer of the Zone. Removal Application in Anneveure A below must be serially numbered. The serial No. should be according to the financial year. The Serial No. Must be noted on all the copies. Whenever any removal application has to be cited in the course of correspondence, the name of the factory or warehouse, the serial number and date of Annexure A below should always be quoted as reference. The consignor shall, however, intimate to the proper office about the removal of goods at least 12 hours before such removal is expected to take place.

Marking of the Packages

(c) Packages to be marked and address to be noted in the application.

The factory or warehouse of removal (consignors) must :—

(i) ensure the packages bear proper marking and number;

(ii) ensure that all copies of Annexure A below are prominently marked "Intended for use in Madras Export Procesing Zone";

(iii) give the full address of the factory or warehouse of removal as well as of the Superintendent of Central Excise incharge of the range under which the factory or warehouse falls and the Central Excise Collectorate to which it is attached.

Whenever any of these addresses is used for despatch ing purposes, care must be taken by the despatching factory or warehouse to see that the full address of the Superintendent of Central Excise incharge of the range including the names of the district is properly reproduced.

Preparation of Gate Pass

(d) The consignor shall also prepare a gate pass in Form G.P.2 in Appendix Z to the Central Excise Rules, 1944 in respect of the goods proposed to be removed from his warehouse and will thereafter clear the goods on his own without any verification by any Central Excise Officer.

Disposal of documents in Annexure—A and Gate Pass

(e) The consignor shall send the original and triplicate copy of Annexure A below and original copy of the gate pass alongwith the consignment to the consignee. The duplicate copy of Annexure A below will be sent by the Consignor to the Development Commissioner. The quadruplicate copy of Annexure A. below alongwith a copy of the gate pass will be sent by the consignor to the officer-in-charge of his factory or warehouse within 24 hours of the removal of the consignment in question. The said officer in charge shall maintain an account of all such removal in Annexure B below.

Action at destination.

(f) On receipt of the duplicate copy in the Zone's Administrative Office it muct immediately be entered in the "Record of Receipts in bond" given in Annexure C below and forwarded the same day to the Security Officer. The entries in this record should be verified against relative entries of the Record of Raw Materials prescribed by the Development Commissioner.

Responsibility for further accounting

(g) After delivery of the non-duty paid excisable goods from a manufactrer in the rest of India to the Plot holder in the Zone, proper accounting of these goods will be the responsibility of the Zone authorities.

Examination of the consignment on receipt

(h) (1) The consignee must give intimation of the arrival of the consignment at his premises to the Security Officer of the Zone without any delay and should store the same separatey and intact, pending examination and check by the Preventive Officer who will be deputed by the Security Officer for this purpose. The Preventive Officer after taking account of the goods will identify them with the marks and numbers, and weigh the consignment in full. Thereafter, he shall complete the re-warehousing certificate on the duplicate copy received from the Security officer and original and triplicate copy of the applications presented by the consignee, return duplicate to the Central Excise Officer-in-charge of the factory or warehouse of removal direct and triplicate to the consignee for despatch to the consignor after noting thereon the deficiency or excess, if any.

Duty on shortages/losses in transit

(2) Since the bond in Annexure D1 to D4 (surety|security|general surety|general security) would have been executed by the consignee, duty on shortages will be demanded from him after condoning the permissible losses in transit. For each commodity a separate schedule of losses will be formulated and issued by the Development Commissioner.

Re-entry

(i) If the duplicate application is received by the Security Officer of the Zone, before the arival of the goods is reported to him by the consignee, he must keep it pending, securely and systematically filed in a file marked "pending duplicate in Annexure A application" and record the particulars of the consignment in his "Record of receipts in bond" prescribed as in Annexure C below and no sooner the consignment is received, he will follow the procedure prescribed in paragraph (h) above.

Duty leviable on excisable goods not duly accounted for as having been utilised in the manufacture of goods for export etc.

(j) If any excisable goods obtained under this procedure are not duly accounted for as having been utilised in the production of goods or in connection with the production of goods meant for export only, or are not shown to the satisfaction of the proper officer to have been lost or destroyed by natural causes or by unavoidable accidents during storage or handling in the approved premises, or, have been permitted to be disposed of as refuse or wastage within the permissible limits prescribed by the Development Commissioner, the applicant shall, on demand by the proper officer, immediately pay the duty leviable on such goods. The concession may at any time be withdrawn by the Development Commissioner if a breach of the procedure is committted by the applicant, his agent or any person employed by him. In the event of such a breach, the Development Commissioner may also order the forfeiture of the security deposited under paragaraph (a) above and may also confiscate the excisable goods and all goods manufactured from such goods in store in the premises of the applicant.

Despatch of duplicates by registered post acknowledgement due

(k) Despatch of the duplicate application in Annexure A referred to in paragraph (e) above must always be made by registered post acknowledgement due, and the postal receipt acknowledgement must be systematically filed by the consignor and presented for inspection to the Superintendent of Central Excise incharge of the factory whenever required.

Demand of duty on goods not reaching destination

(l) Under sub-rule (1) of rule 156-B of the Central Excise Rules, 1944, if the certificate of re-warehousing of a consignment of excisable goods despatched to the consignee at the Zone [as per paragraph (h) (1)] is not received back by the consignor within 90 days of the removal of the goods or within such extended period as may be allowed by the Collector of Central Excise it is the responsibility of the consignor to himself pay the duty leviable on the consignment by a debit entry in his account current. However, a provision has been made that in such cases where the consignor produces proof of re-warehousing to the satisfaction of the proper officer after payment of duty in the manner indicated above, he will be eligible for grant of refund of the duty so paid by making an application.

The Officer-in-charge of the factory or warehouse may also demand duty on a consignment the re-warehousing certificate in respect of which has not been received within the stipulated period. In such cases if the consignor has already paid the duty leviable on the consignment by a debit entry in his account current, he may intimate the officer-in-charge about the particulars of such deposit in reply to this notice of demand.

Action by the officer-in-charge of the factory or warehouse of removal in case of non-receipt of the warehousing certificates

(m) If the duplicate copy of Annexure A below [see paragraph h (1) is not returned to the officer-in-charge of the factory or warehouse of removal within a month of the removal of consignment reminders must be issued regularly at fortnightly intervals to the security officer of the Zone. If, despite such reminders the duplicate application is not received within two months of the date of removal of the consignment, the matter should be reported to the Assistant Collector of Central Excise in whose charge the consignor operates who must immediately communicate with the Assistant Collector of Customs of the Zone and either secure a satisfactory proof of the consignment having been duly received by the importer at the Zone or ensure that the duty properly due on the goods not so received a destination is recovered as per paragraph (1) above.

Verification of the use of non-duty paid goods

(n) On receipt by the consignee, such goods shall be utilised in the production of goods or in connection with the production of goods intended (solely) for export. It shall be tht responsibility of the Assistant Collector of Customs/Security Officer of the Zone to ensure that all non-duty paid goods have been fully utilised for the production of goods or in connection with the production of goods intended for export only or are otherwise accounted for to the satisfaction of the Development Commissioner.

Range.....Original
Duplicate
Triplicate
Quadruplicate

ANNEXURE A

FORM-A.R.3-A

Application for removal of excisable goods from a bonded warehouse in India to a plot in the Madras Export Processing Zone

I/We holder(s) of Central Excise Licence No.....in Form.....apply for leave to remove the undermentioned goods from the warehouse at..... to the Factory at Plot No.....of Sector No.....of Mr./Messrs.....of the Madras Export processing Zone.

Number and date of entry in warehouse register	Description of goods	No. and description of packages	Gross weight of packages	Marks and numbers of packages	Quantity of goods
1	2	3	4	5	6

Date of first warehousing (in the case of tobacco only)	Value	Duty		Manner of Transport	Remarks
		Rate/Amount			
7	8	9	10	11	12

1. To be entered by the consignor/owner or his authorised agent in words and figures.
2. The aforesaid Mr./Messrs.....have executed a bond at destination; in Form B-54 (Surety or Security) or B-5—(Gen-Sur) or (Gen-Sec) bearing No.....dated.....for rupees.....
 Delete the entries not applicable.
 A certificate from the Central Excise Officer of Central Excise.....in Form C.T.3. is attached
3. I/We hereby declare the above particulars to be true.

Place.....
Date.....

Signature of Consignor(s)/Owner(s) or his/their authorised agent.

(1) Certificate of Central Excise officer at Warehouse of Removal.

To

The Security Officer,
Madras Export Processing Zone.

I hereby certify that the consignment conforms in all respects to the description given above and I have permitted removal under Transport permit in Form G.S. No.....

Date.....
Place.....

Inspector of Central Excise.

Date

2. Certificate of preventive officer at Warehouses at Madras Export Processing Zone.

I hereby certify that the consignment arrived at Plot No.....of Sector..... of the Madras Export Processing Zone and that the goods conform in all respects to the description given above/overleaf/except for the following discrepancies and that they have been rewarehoused under Entry No..... dated.....of the Raw Materials Account Register prescribed by the Development Commissioner, Madras Export Processing Zone.

Place.....
Date.....

Preventive Officer
Madras Export Processing Zone

ANNEXURE B

Record of Removals in Bond

RANGE OFFICER

Sl. No.	A.R. 3 No. & Date	Name, address & L.4 of the factory of removal	Goods		Destination	
			Description	Net quantity despatched	Name, address and L.4 No. of the factory of Madras Export processing Zone	Plot No..... Sector..... No.....
1	2	3	4	5	6	7

DUPLICATE A.R.3

No. and date of B-5A bond and by whom executed (Consignor or consignee)	Date of Despatch to Security Officer at destination	Date of reminders issued for return	Date of return of duplicate	Date of despatch to Circle Officer of origin for record
8	9	10	11	12

Whether triplicate A.R.3 received by Consignor from Consignee yes/no.	Date of re-warehousing	Gain (plus) or loss (minus) in transit	Action taken on loss, if bond taken from consignor	Remarks
		Total percentage of Col. 5		
13	14	15 16	17	18

ANNEXURE C

MADRAS EXPORT PROCESSING ZONE

Record of Receipts in Bond

(for Madras Export Processing Zone)

Sl. No. and A.R.3A No.	Date of Gate pass	Description of goods	Rate of duty
1	2	3	4 5

No. of packages	Net Quantity	Name L.4 No. and address consignor	Duplicate A.R.—3	
			Date of receipt	Date of return
6	7	8	9	10

Gain (plus) or Loss (minus) in transit		Action taken on loss, if bond taken from consignee	Remarks
Total	percentage of Col. 7		
11	12	13	14

ANNEXURE D-I

FORM B-5 A (SURETY)

Bond (with surety) for the due arrival and re-warehousing of excisable goods removed from a warehouse in India to a factory in the Madras Export Processing Zone.

(Delete letters and words not applicable)

I/We (I).....of.....(hereinafter called the obligor(s) and (2) I/We.....of (hereinafter called the surety) are jointly and severally bound to the president of India in the sum of..... rupees to be paid to the President of India for which payment we jointly and severally bind ourselves and our legal representatives.

The above bounded obligor(s) being permitted to remove the goods described in his/their application No..... dated.....from the bonded warehouse at.....to the Factory at Plot No.....Sector No.....of the Madras Export Processing Zone.

The condition of this Bond is that if the obligor(s) and his/their legal representatives shall observe all the provisions of the Central Excise Rules,1944, and all such amendments thereto, as may be issued from time to time to be observed in respect of the goods so transferred:

And, if all the said goods are duly removed to and re-warehoused at the factory at Madras Export processing Zone before the.....day of.....198

This obligation shall be void.

Otherwise and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force.

I/We declare that this bond is given under the orders of the Central Government for the performance of an act, in which the public are interested.

Place
Date
Witnesses (1) Address (1) Signature(s) of Obligor(s)
Occupation (1)
(2) (2)

Place
Date
Winesses (1) Address (1) Signature of Surety.
Occupation (1)
(2) (2)

Accepted by me this.....day of.....198

.....of Central Excise
Madras Export Processing Zone
(For and behalf of the President of India).

ANNEXURE—D-II

FORM B-5 (SECURITY)

Bond (With security) for the due arrival and rewarehousing of excisable goods removed from a bonded warehouse in India to a factory in the Madras Export Processing Zone.

(Delete the letters and words not applicable)

I/We.....of.....(hereinafter called the obligor (s) am.....bond

are jointly and severally

to the President of India in the sum of.....rupees to be paid to the President of India for which payment I bind myself/ourselves and

we jointly and severally

My/our legal representatives.

The above bounden obligor(s) being permitted to remove the goods described in his/their application No. dated.....from the bonded warehouses at.....to the factory of.....at lot No.....Sector No..... at.....Madras Export Processing Zone.

Whereas the Collector of Central Excise at.....(hereinafter called the Collector) Development Commissioner, Madras Export Processing Zone (hereinafter, called the Development Commissioner) has required the obligor(s) to deposit a guarantee for the amount of this bond..... the sum of rupees

the securities as hereinafter mentioned of a

in cash.....rupees endorsed in favour of the total/face value

Collector/Development Commissioner, namely.....

Whereas the obligor(s) has/have furnished such guarantee by depositing with the Collector/Dev. Commissioner the cash/securities as aforementioned;

The condition of this Bond is that if the obligor(s) and his/their legal representatives shall observe all the provisions of the Central Excise Rules, 1944, and such amendments thereto, as may be issued from time to time to be observed in respect of the goods so transferred;

And if all the said goods are duly removed to and re-warehoused at.....before the..... day of.....198

This obligation shall be void.

Otherwise and on breach or failure in the performance of any part of the condition the same shall be in full force.

And the President of India, shall, at his option, be competent to make good all the loss and damages either from the amount of the guarantee deposit or by enforcing his rights under the above written bond or by both.

I/We declare that this bond is given under the orders of the Central Government for the performance of act in which the public are interested.

Place

Date

Signature(s) of obligor(s)

Witnesses (1) Address (1) Occupation (1)

(2) (2) (2)

Accepted by me this.....day of.....198

of Central Excise

Madras Export Processing Zone
(for and on behalf of the President of India)

ANNEXURE D-3

FORM B-5 (GEN-SEC)

General bond (with security) for the due arrival and rewarehousing of excisable goods removed from a bonded warehouse in India to a factory in the Madras Export Processing Zone.

(Delete the letters and words not applicable)

I/We.....[hereinafter called the obligor(s)] am..... are jointly and severally

bound to the president of India in the sum of.....rupees to be paid to the President of India for which payment I.....bind myself/ourselves and my/our legal representatives.
we jointly and severally

The above bounden obligor(s) being permitted to remove from time to time, conditional on the provisions of the Central Excise Rules, 1944, being observed, from bonded warehouse (s) at.....to a factory in Madras Export Processing Zone or vice versa.

Whereas the Collector of Central Excise at.....(hereinafter calledt he Collector) Development Commissioner Madras Export Processing Zone (hereinafter) called the Development Commissioner has required the obligor(s) to deposit as guarantee for the amount of this bond the sum of..... the securities as

.....rupees in cash.....
hereinafter mentioned of a total face value of.....rupees endorsed in favour of the Collector/Development Commissioner, namely.....

And whereas the obligor(s) has/have furnished such guarantee by depositing with the Collector/Development Commissioner the cash securities as afore mentioned. The condition of the bond is that if the obligor(s) or his/their representative shall observe all the provisions of the said Rules and all such amendments thereto as may be issued from time to time to be observed in respect of the goods so removed from time to time.

And if the said goods are duly removed to and rewarehoused at the bonded warehouse(s) of destination to which it is permitted to be removed within such time as the proper officer directs;

This obligation shall be void.

Otherwise and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force.

And the President of India shall at his option be competent to make good all the less and damages either from the amount of the guarantee deposit or by enforcing his rights under the above written bond or by both.

I/We declare that the bond is given under the orders of the Central Government for the performance of an act in which the public are interested.

Place

Date Signature(s) of Obligor(s)

Witnesses (1)	Address (1)	Occupation (1)
(2)	(2)	(2)

Accepted by me this.....day of.....198

of Central Excise

Madras Export Processing Zone

(For and on behalf of the President of India)

ANNEXURE D-4

FORM B-5 (GEN-SUR)

General bond (with surety/ies) for the due arrival and rewarehousing of excisable goods removed from a bonded warehouse in India to a factory in the Madras Export Processing Zone.

(Delete the letters and words not applicable)

I/We.....of.....[hereinafter called the obliger(s)] am/ are bound to the President of India in the sum of.....rupees.

(i) I/We.....(hereinafter called the "first Surety").

(ii) and I/We.....(hereinafter called the "Second Surety").

(iii) and I/We.....(hereinafter called the "third Surety").

(iv) and I/We(hereinafter called the "Fourth Surety").

(all hereinafter collectively referred to as the First Surety, the Second Surety, the Third Surety, the Fourth Surety..)

am/are each of us severally bound to the President of India for in the sum of rupees..... each/respectively be paid to the President of India for which payment I/We the obliger/obligers bind myself/ ourselves and my/our legal representatives and I/we the above named First Surety, the Second Surety, the Third Surety and the Fourth Surety, severally bind myself/ourselves and my/our legal representatives.

The above bounden obliger(s) being permitted to remove from time to time , conditional on the provision of the Central Excise Rules, 1944 being observed.....from the bonded warehouse(s) at.....to a factory situated in the Madras Export Processing Zone, and vice versa.

The condition of this bond is that if the obliger(s) and his/their legal representatives shall observe all provisions of the said Rules and all such amendments thereto as may be issued from time to time.

And if the said goods are duly removed to an rewarehoused at the bonded warehouse(s) of destination to which they are permitted to be removed within such time as the proper officer directs.

This obligation shall be void.

Otherwise, and on breach or failure in the performance of any part of the condition, the same shall be in full force.

I/We declare that this bond is given under the orders of the Central Government for the performance of an act in which public are interested.

Place

Date

Signature(s) of obliger(s)

Witness	Address	Occupation
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)

Place

Date

Signature(s) of Surety(ies)

Witness	Address	Occupation
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)

Accepted by me this.....day of.....198

(For and on behalf of the President of India).
of Central Excise.
Madras Export Processing Zone

ANNEXURE E

MADRAS EXPORT PROCESSING ZONE

No.....Date

FORM C. T.—3

CERTIFICATE FOR REMOVAL OF WAREHOUSED GOODS UNDER BOND

This is to certify that :

(1) Mrs/Messrs.....(name and address) is/are bonafide plot-holders in the Madras Export Processing Zone.

(2) That he/they has/have executed a bond in Form B-5A/B-5 (surety) (security) (general surety) (general security).

No.....date.....for Rs.....with the Madras Export Processing Zone Authorities and as such, may be permitted to remove.....(Qty.) of.....(excisable goods) from the factory at..... to his factory.....in the Madras Export Processing Zone.

(3) That the specimen signatures of his/their authorised agent namely Shri..... are furnished. herebelow duly attested;

SECURITY OFFICER

MADRAS EXPORT PROCESSING ZONE

Speciment Signatures
of owner or his
authorised agent.

Sd/-

Attested
Security Officer.

[F. No. 71/52/85-CX. 2]

238/85/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 852 (अ).—केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप धारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उत्पाद-शुल्क माल को जब वे भारत के अन्य भागों में स्थित उनके विनिर्माण के कारखानों या भांडागारों से, एकमात्र रुप में निर्यात के लिए आशयित माल के उत्पादन के लिए या ऐसे माल के उत्पादन की बाबत फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में, जोकि मुक्त व्यापार जोन है, अवस्थित उद्योगों द्वारा उपयोग के लिए उक्त जोन में लाए जाएं,—

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से, और

(ii) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

(क) परिषिती जोन में विनिर्माण यूनिट या यूनिटों को स्थापना करने के लिए प्राधिकृत है;

(ख) परिषिती उत्पाद-शुल्क्य माल सीधे विनिर्माण के कारखाने या भांडागार में लाता है;

(ग) इस प्रकार लाए गए समस्त उत्पाद-शुल्क्य माल परिषिती द्वारा या उसकी ओर से जोन से एकमात्र रुप में निर्यात के लिए आशयित माल के विनिर्माण के लिए या ऐसे माल के विनिर्माण की बाबत उपयोग में लाए जाते हैं और ऐसे सभी विनिर्मित माल निर्यात किए जाते है; और

(घ) इस अधिसूचना के परिशिष्ट में यथाविहित प्रक्रिया का जोन में अनुसरण किया जाता है ।

2. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, जोन में उत्पादित या विनिर्मित माल को जोन के बाहर देश उपयोग के लिए निकासी, उतनी मात्रा तक और ऐसी परिस्थितियों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो जोन के विकास आयुक्त द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् विकास आयुक्त कहा गया है) विनिर्दिष्ट की जाएं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क का संदाय करने पर, की जा सकती है।

3. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में ऐसे स्थान सम्मिलित हैं जिनके निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्यांक है, और जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 236/85, तारीख 15 नवम्बर, 1985 में विनिर्दिष्ट सीमाओं से घिरा है।

परिशिष्ट

जोन में उपयोग के लिए शुल्क-मुक्त उत्पाद-शुल्कय माल के "बंधनपत्राधीन" संचलन को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया

फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में प्लाट धारकों द्वारा शुल्क-मुक्त माल अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन।

(क) यदि कोई व्यक्ति जोन में स्थित अपने कारखाने या भांडागार में अपने उपयोग के लिए शुल्क-मुक्त माल अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह, विकास आयुक्त द्वारा विहित उचित प्ररूप में विकास आयुक्त को लिखित आवेदन करेगा जिसमें वह, उत्पाद-शुल्कय माल का, अपेक्षित वार्षिक परिमाण और वह प्रयोजन और रीति जिसमें ऐसे माल का उपयोग करना आशयित है, और यह घोषणा कि वह माल ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा केवल ऐसी रीति में ही उपयोग में लाया जाएगा, कथित करेगा। विकास आयुक्त या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी आवेदन की ऐसी जांच करने के पश्चात्—जो वह ठीक समझे, आवेदन को मंजूर कर सकेगा और तब आवेदक नीचे उपाबंध ख-1 से ख-4 तक में दिए गए प्ररूप में, ऐसे प्रतिभूति या पर्याप्त प्रतिभूति सहित, ऐसी रकम की और ऐसी शर्तों के अधीन जो विकास आयुक्त अनुमोदित करे, बंध-पत्र निष्पादित करेगा। किंतु विकास आयुक्त विनिर्माता द्वारा यथाप्रस्तुत परिमाण तक, या उतनी मात्रा तक जितनी विकास आयुक्त इस आशय की प्रार्थना की जाने पर बढ़ाये, उत्पाद शुल्कय माल के लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान करेगा। यह रियायत प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त हो जाएगी किंतु यदि विकास आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी, किसी प्रतिकूल कारण के न होने पर, उसका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

परन्तु मृत्यु, दिवालिया या प्रतिभू के अपर्याप्त हो जाने की दशा में, या बंध-पत्र की रकम पर अपर्याप्त होने पर, विकास आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसका अधिकारी, स्थितिविशेषानुसार, नए बंध-पत्र की मांग कर सकेगा और यदि बंध-पत्र के लिए दी गई प्रतिभूति पर्याप्त नहीं है, तो वह आनुषंगिक प्रतिभूति की मांग कर सकेगा।

आवेदन मंजूर होने और आवेदक द्वारा बंध-पत्र निष्पादित किए जाने के पश्चात् सुरक्षा अधिकारी, नीचे उपाबंध ख में दिए गए प्ररूप में यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि—

(i) आवेदक जोन का वास्तविक प्लाट धारक है;

(ii) उसने नीचे उपाबंध ख-1 से ख-4 तक में दिए गए प्ररूप में जैसे प्राधिकारियों को बंध-पत्र निष्पादित कर दिया है, जिसमें बंध-पत्र की संख्यांक और विशिष्टियां दिखाई गई हैं; और

(iii) प्रमाण-पत्र पर आयातकर्ता के प्राधिकृत अभिकर्ता के नमूना-हस्ताक्षर असली हैं और वह उसे अनुप्रमाणित करेगा। प्रमाणपत्र सुरक्षा अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत डाक (रसीदी सहित) के अधीन उस कारखाने या भांडागार को भेजा जाएगा जिससे माल अभिप्राप्त किया जाना है। प्रमाण-पत्र की एक प्रति सुरक्षा अधिकारी द्वारा उस कारखाने या भांडागार के रेंज के भारसाधक अधीक्षक को भी भेजी जाएगी जहां से माल प्राप्त होना है।

फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन को माल का हटाया जाना।

(ख) उपर्युक्त प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर वह कारखाना या भांडागार (प्रेषिती) जहां से माल हटाया जाता है, एक भांडागार से दूसरे भांडागार को शुल्क असंदत्त माल हटाने के लिए जोन के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के अनुसार उपाबंध ख-1 से ख-4 तक में बंध-पत्र की संख्या और तारीख स्पष्ट रूप से बताते हुए नीचे उपाबंध क में दिए गए प्ररूप में, चार प्रतियों में, एक आवेदन तैयार करेगा। नीचे उपाबंध क में माल हटाये जाने के लिए आवेदन को क्रम संख्यांकित किया जाना चाहिए। क्रम संख्या वित्तीय वर्ष के अनुसार होनी चाहिए। क्रम संख्या सभी प्रतियों पर लिखी जानी चाहिए। यदि माल हटाए जाने के लिए किसी आवेदन को, पत्राचार के अनुक्रम में, हवाला दिया जाता है तो कारखाने या भांडागार का नाम, नीचे उपाबंधक की क्रम संख्या और तारीख, निर्देश के लिए, सुविधा उपयुक्त करनी चाहिए। किंतु प्रेषिती उचित अधिकारी को, माल के हटाए जाने के संबंध में, जब भी माल हटाए जाने की प्रत्याशा हो उससे कम से कम बारह घंटे पहले, संसूचित करेगा।

पैकेजों का चिह्नांकन

(ग) पैकेजों को चिह्नित किया जाएगा और आवेदन में पता दर्ज किया जाएगा।

जहां से माल उठाया जाता है वह कारखाना या भांडागार (प्रेषक)—

(i) सुनिश्चित करेगा कि पैकेजों पर उचित चिह्नांकन किया गया है और संख्या दी गई है;

(ii) सुनिश्चित करेगा कि नीचे उपबंध क की सभी प्रतिलिपियों पर "फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में उपयोग के लिए आशयित" शब्द मुख्यक रूप से चिह्नांकित कर दिए गए हैं।

(iii) जिस कारखाने या भांडागार से माल को हटाया जाना है उसका तथा जिस रेंज के भारसाधक अधीक्षक के अधीन वह कारखाना या भांडागार आता है और जिस केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टरी से वह संलग्न है उनके पूरे पते देगा।

यदि इनमें से कोई पता ऐसा माल भेजने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है तो भेजने वाले कारखाने या भांडागार द्वारा यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि रेंज के भारसाधक उत्पाद शुल्क अधीक्षक का, जिसके नाम सहित, पूरा पता ठीक से लिख दिया गया है।

गेट पास तैयार करना

(घ) प्रेषक अपने भांडागार से हटाये जाने वाले प्रस्तावित माल की बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के उपबंध प में प्ररूप गे०पा० 2 के गेट पास भी तैयार करेगा और उसके पश्चात् किसी भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के सत्यापन के बिना ही, अपनी ही ओर से माल की निकासी करेगा।

उपाबंध क में की दस्तावेजों और गेट पासों का निपटारा

(ङ) प्रेषक नीचे उपाबंध क की मूल और तृतीय प्रति और गेट पास की दूसरी प्रति प्रेषण के साथ प्रेषिती को भेजेगा। नीचे उपाबंध क की द्वितीय प्रति प्रेषक विकास आयुक्त को भेजेगा। गेट पास की प्रति तथा नीचे उपाबंध क की चतुर्थ प्रति प्रेषक उसके कारखाने या भांडागार के भारसाधक अधिकारी को प्रस्तावित प्रेषण के हटाये जाने के चौबीस घंटे के भीतर भेजेगा। उक्त भारसाधक अधिकारी नीचे ऐसी हटाई गयी वस्तुओं का लेखा उपाबंध ख में रखेगा।

गन्तव्य स्थान पर कार्रवाई

(च) जोन के प्रशासन कार्यालय में आवेदन की द्वितीय प्रति प्राप्त होने पर, नीचे उपाबंध ग में दिये गये "बंधपत्राधीन प्राप्तियों का अभिलेख" में परन्तु उसकी प्रविष्टि की जायेगी और सुरक्षा अधिकारी को उसी दिन भेज दी जायेगी। इस अभिलेख की प्रविष्टियों का, विकास आयुक्त द्वारा विहित 'कच्चे माल का अभिलेख' की संबंधित प्रविष्टियों से मिलान करके सत्यापन किया जाना चाहिये।

आगे हिसाब देने का दायित्व

(छ) जोन में प्लाट धारक को, भारत के शेष भाग के किसी विनिर्माता से शुल्क अभिदत्त उत्पाद-शुल्कय माल के परिदान के पश्चात्, उस माल का उचित हिसाब रखने का दायित्व जोन के प्राधिकारियों का होगा ।

प्रेषण की प्राप्ति पर परीक्षा ।

(ज) (1) प्रेषिती अपने परिसर में प्रेषण के आने की सूचना जोन के सुरक्षा अधिकारी को अभिलम्ब देगा और उसे माल निवारक अधिकारी द्वारा, जो इस प्रयोजन के लिये सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जायेगा, उसकी जांच और परीक्षा की जाने तक, पृथक और अविकृत रूप में रखना चाहिये । निवारक अधिकारी माल का हिसाब लेने के पश्चात् चिन्हों और संख्याकों की सहायता से उसकी पहचान करेगा तथा पूरे प्रेषण की तोल करेगा । उसके पश्चात् वह सुरक्षा अधिकारी से प्राप्त तृतीय प्रति और प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदनों की प्रथम तथा तृतीय प्रति पर पुनः भांडागारण प्रमाण-पत्र लिखेगा । द्वितीय प्रति माल हटाये जाने वाले कारखाने या भांडागार के भारसाधक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को भेजे और तृतीय प्रति प्रेषिती को वापस कर देगा जो उस पर कमी या आधिक्य , यदि कोई है, नोट करने के पश्चात् उसे प्रेषक को भेजेगा ।

अभिवहन में कमियों/हानियों पर शुल्क

(2) चूंकि उपाबंध ख-1 से ख-4 तक में बंधपत्र (प्रतिभू/प्रतिभूति/ साधारण प्रतिभू /साधारण प्रतिभूति) प्रेषिती द्वारा निष्पादित किया गया होगा अतः, अभिवहन में अनुज्ञेय हानि को माफ करने के पश्चात्, कमी पर शुल्क, उसी से मांगा जायेगा । प्रत्येक वस्तु के लिये हानि की पृथक अनुसूची बनाई जायेगी और विकास आयुक्त द्वारा जारी की जायेगी ।

पुनः प्रवेश ।

(झ) यदि आवेदन की द्वितीय प्रति जोन के सुरक्षा अधिकारी को, प्रेषिती द्वारा उसे माल के आने की रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व प्राप्त होती है तो वह उसे "उपाबंध क में के आवेदन की द्वितीय प्रति प्राप्त होने पर्यन्त" चिन्हित फाइल में सुरक्षित तथा क्रमवार रूप से सम्बद्ध रखेगा तथा प्रेषण की विशिष्टियां उपाबंध-ग में यथाविहित अपने "बंध-पश्चात्वर्ती प्राप्तियों का अभिलेख" में अभिलिखित करेगा और प्रेषण के प्राप्त होने ही वह उपयुक्त पैरा "ञ" में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

उत्पाद-शुल्कय माल पर, जिसका सम्यक् रूप से हिसाब नहीं दिया गया हो और जिसका निर्यात आदि के लिये माल के विनिर्माण में उपयोग किया गया हो, उद्ग्रहणीय शुल्क ।

(ञ) यदि इस प्रक्रिया के अधीन अप्राप्त किसी उत्पाद-शुल्कय माल का इस बाबत सम्यक् रूप से हिसाब नहीं दिया जाता है कि उसका उपयोग केवल निर्यात के लिये अभिप्रेत माल के विनिर्माण में या ऐसे माल के विनिर्माण की बाबत ही किया गया है, या इस बाबत उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह बताया नहीं जाता है कि माल प्राकृतिक कारणों से अनुमोदित परिसर में भांडागारण या धराई उठाई के दौरान अपरिहार्य दुर्घटनाओं से जो खो गया है या नष्ट हो गया है या विकास आयुक्त द्वारा विहित अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर कचर या अपशिष्ट के रूप में माल के व्ययन की अनुज्ञा दी गई है, तो आवेदन उचित अधिकारी की मांग पर ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय तुरन्त करेगा । यदि आवेदक या उसका अभिकर्ता या उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति प्रक्रिया भंग करता है तो विकास आयुक्त यह रियायत किसी भी समय वापिस ले सकेगा । ऐसे भंग की दशा में, विकास आयुक्त ऊपर पैरा (क) के अधीन निक्षिप्त प्रतिभूति के समपहरण का भी आदेश दे सकेगा और उत्पाद-शुल्कय माल तथा आवेदक के परिसर में भंडार में रखे हुए ऐसे माल से विनिमिस सभी माल का अधिहरण भी कर सकेगा ।

दूसरी प्रतियों का रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा भेजा जाना ।

(ट) पैरा (ङ) में निर्दिष्ट उपाबंध क में आवेदन की द्वितीय प्रति का प्रेषण सर्वदा रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा किया जाना चाहिये और डाक प्राप्ति की रसीद, प्रेषक द्वारा क्रमवार फाइल की जानी चाहिये और अपेक्षा की जाने पर कारखाने के भारसाधक उत्पाद-शुल्क अधीक्षक के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत की जानी चाहिये ।

गन्तव्य स्थान पर न पहुंचने वाले माल पर शुल्क की मांग ।

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 156(ख) के उपनियम (1) के अधीन यदि जोन के प्रेषिती को [पैरा (ज) (1) के अनुसार] भेजे गये उत्पाद-शुल्कय माल के प्रेषण का पुनः भांडागारण प्रमाणपत्र, माल के हटाये जाने से नब्बे दिन या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर द्वारा अनुज्ञात की जाये, प्रेषक को वापस प्राप्त नहीं होता है तो यह प्रेषक का दायित्व होगा कि वह अपने चालू खाते में नामे प्रविष्टि द्वारा प्रेषण पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय स्वयं करे । किन्तु, यह उपबंध किया गया है कि ऐसे मामलों में, जहां प्रेषक उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में उपरोक्त उपदर्शित रीति में शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, पुनः भांडागारण का सबूत पेश कर देता है तो वह आवेदन करने पर इस प्रकार संदत्त शुल्क के प्रतिदाय की मंजूरी प्राप्त करने का पात्र होगा ।

कारखाने या भांडागार का भारसाधक अधिकारी भी, उस प्रेषण की बाबत जिसके बारे में पुनः भांडागारण प्रमाण-पत्र नियत अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है, शुल्क की मांग कर सकेगा । ऐसे मामलों में, यदि प्रेषक ने अपने चालू खाते में नामे प्रविष्टि करके प्रेषण पर उद्ग्रहणीय शुल्क का पहले ही संदाय कर दिया है, तो वह मांग की सूचना के उत्तर में ऐसे निक्षेप की विशिष्टियों के बारे में भारसाधक अधिकारी को सूचित कर सकेगा ।

भांडागारण प्रमाणपत्र की अप्राप्ति के मामले में माल हटाये जाने वाले कारखाने या भांडागार के भारसाधक अधिकारी द्वारा कार्रवाई ।

(ठ) यदि नीचे उपाबंध क [देखिए पैरा (ज) (1)] की द्वितीय प्रति माल हटाये जाने वाले कारखाने या भांडागार के भारसाधक अधिकारी को प्रेषण के हटाये जाने के एक मास के भीतर वापस नहीं की जाती तो जोन के सुरक्षा अधिकारी को पाक्षिक अन्तरालों पर नियमित रूप से स्मरण पत्र भेजे जाने चाहिये । यदि ऐसे स्मरण पत्रों के बावजूद भी आवेदन की द्वितीय प्रति प्रेषण के हटाये जाने की तारीख से दो मास के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो मामला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर को जिसके भारसाधन में प्रेषक कार्यरत है, रिपोर्ट किया जाना चाहिये जो जोन के सीमा शुल्क सहायक कलक्टर को इसकी संसूचना तुरन्त देगा और या तो इस बाबत समाधानप्रद सबूत प्राप्त करेगा कि प्रेषण जोन में आयातकर्ता को सम्यक् रूप से प्राप्त हो गया है या यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार गन्तव्य स्थान पर अप्राप्त माल पर उचित रूप से शोध्य शुल्क उपरोक्त पैरा (ठ) के अनुसार वसूल कर लिया गया है ।

शुल्क अभिदत्त माल के उपयोग का सत्यापन ।

(ड) प्रेषिती द्वारा प्राप्त होने पर ऐसा माल (कच्चा माल) निर्यात के लिये आशयित माल के विनिर्माण में या ऐसे माल के विनिर्माण की बाबत उपयोग में लिया जायेगा । जोन के सीमा शुल्क सहायक कलक्टर या सुरक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि सभी शुल्क अभिदत्त माल केवल निर्यात के लिये आशयित माल के विनिर्माण में या ऐसे माल के विनिर्माण की बाबत उपयोग में लाया गया है या विकास आयुक्त को समाधानप्रद रूप में उसका हिसाब दे दिया गया है ।

उपाबंध-क रेंज मूल प्रति

प्रारूप-ए, आर. उक द्वितीय प्रति

तृतीय प्रति

चतुर्थ प्रति

भारत में बंध-पत्रित भांडागार से उत्पाद-शुल्क्य माल के फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में किसी प्लाट को हटाए जाने के लिए आवेदन

मैं/हम जो प्रारूप में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अनुज्ञप्ति सं का धारक हूं/ के धारक हैं, नीचे उल्लिखित माल को स्थित भांडागार से हटाकर फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन के श्री/मैसर्स के कारखाने को, जो प्लाट सं सैक्टर में स्थित है, हटाने की इजाजत पाने के लिए आवेदन करता हूं / करते है ।

भांडागार रजिस्टर में प्रविष्टि का सं. और तारीख	माल का वर्णन	पैकजों का वर्णन और संख्या	पैकजों का कुल भार	पैकजों के चिह्न और संख्या	माल का परिणाम	प्रथम भांडागारण की तारीख (केवल तंबाकू के मामले में)	मूल्य कुल	शुल्क रकम	परिवहन की रीति	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11	12

1क. परेषक 1 स्वामी या उसका प्राधिकृत अधिकर्ता शब्दों और अंकों में प्रविष्टि करे ।

2. पूर्वोक्त श्री/मैसर्स ने गन्तव्य स्थान पर, प्रारूप सा-5-क (प्रतिभू या प्रतिभूति) या सा5-क (साधा.-प्रतिभू) या (साध. प्रतिभूति) सं तारीख में रु. के लिए बंधपत्र निष्पादित किया है ।

जो प्रविष्टियां लागू नहीं होती है उन्हें काट दें ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के प्रारूप सी-टी-3 में प्रमाणपत्र संलग्न है ।

3. मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सत्य हैं ।

स्थान परेषक/स्वामी उसके/उनके प्राधिकृत

तारीख अधिकर्ता के हस्ताक्षर

(1) हटाने के भांडागार पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी का प्रमाणपत्र ।

सेवा में,

सुरक्षा अधिकारी,
फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन, कलकत्ता ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि परेषक सभी बाबत उपरोक्त वर्णन के अनुरूप है और मैंने प्रारूप गे.पा. सं तारीख में परिवहन अनुज्ञापत्र के अधीन हटाए जाने की अनुज्ञा दी है ।

स्थान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक

तारीख

(2) भांडागार पर फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन के निवारक अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि फाल्ट निर्यात प्रसंस्करण जोन के सैक्टर के प्लाट सं पर परेषण पहुंच गया है और माल सभी प्रकार, निम्नलिखित कमियों के सिवाय, उपरोक्त । पीछे पृष्ठ पर दिए गए वर्णन के अनुरूप हैं और उसको फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन के विकास आयुक्त द्वारा विहित, कच्ची सामग्री लेखा रजिस्टर में प्रविष्टि सं तारीख को पुनः भांडागारण कर दिया गया है ।

स्थान निवारक अधिकारी

तारीख फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन ।

उपाबन्ध ख

बंध पत्राधीन हटाए गए भाग का अभिलेख

रेंज अधिकारी

क्रमसं.	ए.आर. 3 का सं. और तारीख	हटाए जाने के कारखाने का नाम, पता और एस. 4 संख्यांक	माल		गन्तव्य स्थान	लाट सं. सेक्टर सं.	ब-5-क बंधपत्र का सं. और तारीख और उसके निष्पादक (परेषक या परेषिती) का नाम	द्वितीय प्रति ए.आर. 3	
			वर्णन	भेजी गई शुद्ध मात्रा	फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन के कारखाने का नाम पता और एस 4 संख्यांक			गन्तव्य स्थान पर सुरक्षा अधिकारी को भेजने की तारीख	वापसी के लिए जारी किए गए स्मरण पत्रों की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

द्वितीय प्रति की वापसी की तारीख	मूल सक्षिल अधिकारी को अभिलेख के लिए भेजने की तारीख	क्या ए.आर. 3 सृतीय प्रति परेषिती से परेषक को प्राप्त हुई है, हां/नहीं	पुनः भाडागारण की तारीख	अभिग्रहण में लाभ (+) या हानि (—) यदि कोई	स्तम्भ 5 का प्रतिशत	यदि परेषक से बंधपत्र लिया गया है तो हानि होने पर की गई कार्रवाई	टिप्पण
11	12	13	14	15	16	17	18

उपाबन्ध ग

फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन प्रशासन बंधपत्राधीन प्राप्तियों का अभिलेख (फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन के लिए)

क्रम सं०	सं. और तारीख		माल का वर्णन	शुल्क की दर	पैकेजों की संख्या	शुद्ध भार	परेषक का नाम एस-1 में और पता	ए.आर. 3 की द्वितीय प्रति	
	ए० आर०	गेट पास						प्राप्ति की तारीख	वापसी की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अभिग्रहण में लाभ (+) या हानि (—)		यदि परिस्थिति में बंधपत्र लिया गया है तो हानि होने पर की गई कार्रवाई	टिप्पण
योग	स्तम्भ 7 का प्रतिशत		
11	12	13	14

उपाबन्ध ध—I

प्रारूप सं-5-क (प्रतिभू)

भारत में किसी बंधपत्रित भांडागार से हटा कर फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित किसी कारखाने को ले जाए गए उत्पाद-शुल्क्य माल के सम्यक आसवन तथा पुनः भांडागारण के लिए (प्रतिभू के साथ) बंधपत्र

(जो शब्द और अक्षर लागू न हों उन्हें काट दें)

.....का/के मैं/हम (1).....
(जो/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) और का/के मैं/हम (2) (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रतिभू कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति संयुक्तत: और पृथकत: रु० की रकम का भारत के राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए आबद्ध हूं/हैं/इस संदाय के लिए मैं/हम संयुक्तत: और पृथकत: स्वयं को और अपने विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूं/करते हैं ।

उक्त आबद्ध बाध्यताधारी को उसके/उनके आवेदन सं..... तारीख में वर्णित माल को में स्थित बंधपत्रित भांडागार से हटाकर, फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन के सैक्टर सं..... के प्लाट सं० पर स्थित कारखाने को ले जाने की अनुज्ञा दी गई है ।

इस बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि बाध्यताधारी और उसके/उनके विधिक प्रतिनिधि, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 और उसके ऐसे सभी संशोधनों के तथा उपबंधों का, या समय-समय पर इस प्रकार अन्तरित माल का बाबत अनुपालन के लिए जारी किए जाएं, अनुपालन करते हैं,

और यदि सभी उक्त माल तारीख के पूर्व फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित कारखाने को सम्यकत: हटा दिया जाता है और उसमें भांडागरित कर दिया जाता है तो;

यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ।

अन्यथा, और इस शर्त के किसी भाग के अनुपालन में भंग या चूक होने पर, वह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, ऐसे कार्य के सम्पादन के लिए जिसमें जनता हितबद्ध है, केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन किया गया है ।

स्थान :

तारीख

बाध्यताधारी के/बाध्यताधारियों के हस्ताक्षर

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

स्थान

तारीख

प्रतिभू के हस्ताक्षर

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मैंने इसे तारीख को स्वीकार किया ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन

उपाबंध ग-2

प्रपत्र शु-5 (प्रतिभूति)

भारत में किसी भांडागार से हटाकर फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित किसी कारखाने या वे आए गए उत्पाद-शुल्कय माल के सभयक आगमन और पुनः भांडागारण के लिए (प्रतिभूति के साथ) बंधपत्र ।

(जो शब्द और अक्षर लागू न हो उन्हें काट दें)

..... का/के मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात बाध्यताधारी कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति रु. की रकम का भारत के राष्ट्रपति को संदाय के लिए आबद्ध हूं। संयुक्ततः और प्रथकतः आबद्ध हैं। इस संदाय के लिए मैं/हम स्वयं को और अपने विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूं। हम स्वयं को और अपने विधिक प्रतिनिधियों को संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करता हूं/करते हैं।

उक्त आबद्ध बाध्यताधारी को उसके/उनके आवेदन से तारीख में वर्णित माल को के स्थित बंधपत्रित भांडागार से हटाकर फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन, सैक्टर सं..... के प्लाट सं..... पर स्थित कारखाने को ले जाने की अनुज्ञा दी गई है । के उत्पाद शुल्क कलक्टर (जिसे इसमें इसके पश्चात कलक्टर कहा गया है)[1] विकास आयुक्त, फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन (जिसे इसमें/इसके पश्चात विकास आयुक्त कहा गया है) जो बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) से अपेक्षा की है कि वह/वे इस बंधपत्र की रकम, अर्थात रुपये तत्रद/इसमें आगे वर्णित रुपए का कुल/अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां कलक्टर/विकास आयुक्त अर्थात के पक्ष में पृष्ठांकित करे/करें ;

बायाताधारी (बाध्यताधारियों) ने ऐसी प्रत्याभूति पूर्ववर्णित रूप में नकद रकम/प्रतिभूतियां/कलक्टर/विकास आयुक्त के पास निक्षिप्त कर दी है/हैं;

इस बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि बाध्यताधारी तथा उसके/उनके विधिक प्रतिनिधि, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 और उसके ऐसे सभी संशोधनों के सभी उपबंधों का समय-समय पर इस प्रकार स्थानान्तरित माल की बाबत अनुपालन के लिए जारी किए जाएं, अनुपालन करते हैं ,

और यदि सभी उक्त माल, तारीख के पूर्व को सम्यक्त हटा दिया जाता है और उसमें पुनः भांडागारित कर दिया है तो,

यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ।

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के अनुपालन में भंग या चूक होने पर, वह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा।

और भारत के राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर ऐसी सभी हानि तथा नुकसानी की पूर्ति करने के लिए सक्षम होंगे जो उन्हें प्रत्याभूति निक्षेप की रकम से हो या उक्त लिखित बंध-पत्र के अधीन अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने में, या दोनों से हो।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, ऐसे कार्य के सम्पादन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ।

स्थान :

तारीख बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) के

हस्ताक्षर

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मैंने इसे आज तारीख को स्वीकार किया ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के

निर्यात प्रसंस्करण जोन

उपाबंध ब—3

प्रपत्र ब-5क (साधारण -प्रतिभूति)

भारत में किसी बंध-पत्रित भांडागार से हटाकर, फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित किसी कारखाने को ले जाये गये उत्पाद-शुल्क्य माल के सम्यक् आगमन तथा पुनः भंडारागारण के लिये साधारण बंध-पत्र (प्रतिभूति के साथ) (जो अक्षर और शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें) का/कि मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति ₹० की रकम का भारत के राष्ट्रपति को संदाय के लिये आबद्ध हूं । संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध हैं इस संदाय के लिये मैं/हम स्वयं को और अपने विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूं । संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करते हैं ।

उक्त आबद्ध बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) को उसके/उनके आवेदन सं० तारीख में वर्णित माल को में स्थित बंधपत्रित भांडागार से हटाकर, फाल्टा निर्यात परिसंस्करण जोन में स्थित कारखाने में ले जाने या वहां से ऐसे किसी माल को ऐसे भांडागार ले जाने की अनुज्ञा इस शर्त पर दी गई है कि वह/वे यह कार्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के उपबंधों का पालन करते हुए करेगा/करेंगे ।

..... के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कलक्टर कहा गया है) । विकास आयुक्त फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन, (जिसे इसमें इसके पश्चात् विकास आयुक्त कहा गया है) व बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) से अपेक्षा की है कि वह/वे इस बंधपत्र की रकम, अर्थात् रुपये की, नकद/इसमें आगे वर्णित रुपये की कुल अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां कलक्टर विकास आयुक्त, अर्थात के पक्ष में पृष्ठांकित करे/करें ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) ने ऐसी प्रत्याभूति नकद रकम/प्रतिभूतियां कलक्टर विकास आयुक्त के पास निक्षिप्त कर दी है/हैं ।

इस बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि यह बाध्यताधारी या उसके/उनके प्रतिनिधि उक्त नियमों और उसके सभी संशोधनों के उपबंधों का जो समय-समय पर इस प्रयोजनार्थ स्थानापन्नित माल के बारे में अनुपालन के लिये समय-समय पर जारी किये जाय, अनुपालन करते हैं

और यदि उक्तमाल, गन्तव्य स्थान के बंधपत्रित भांडागार (भांडागारों) को, जिसके लिये अनुज्ञा दी गई है, ऐसे समय के भीतर जैसा उचित अधिकारी निर्देश दें, हटा दिया जाता है और उसमें पूर्ण भांडागारित कर दिया जाता है तो यह बाध्यता शून्य हो जायगी ।

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के अनुपालन में भंग या चूक होने पर वह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा ।

और भारत के राष्ट्रपति अपने विकल्प पर ऐसी सभी हानि तथा नुकसान की, पूर्ति करने के लिए सक्षम होंगे जो उन्हें प्रत्याभूति निक्षेप की रकम में से हो, या उसका लिखित बंध-पत्र के अधीन अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने में या दोनों से, हो ।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि यह बंध-पत्र ऐसे माल के संसाधन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ।

स्थान बाध्यताधारी/बाध्यताधारियों के हस्ताक्षर

तारीख

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (1)

भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से आज तारीख को स्वीकार किया ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ...

फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन

उपाबंध ब—4

प्रपत्र ब-5क (साधारण प्रतिभू)

भारत में किसी बंध पत्रित भांडागार से हटाकर फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित किसी कारखाने को ले जाए गये उत्पाद-शुल्क्य माल के सम्यक् आगमन तथा पुनः भांडागारण के लिए साधारण बंधपत्र (प्रतिभू प्रतिभूति के साथ) (जो अक्षर और शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें) का/कि मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति ₹० की राशि के लिए आबद्ध हूं, और

(1) मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "प्रथम प्रतिभू" कहा गया है) और (2) मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय प्रतिभू" कहा गया है) और (3) मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "तृतीय प्रतिभू" कहा गया है) और (4) मैं/हम (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "चतुर्थ प्रतिभू" कहा गया है), (जो सभी इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप में प्रथम प्रतिभू, द्वितीय प्रतिभू, तृतीय प्रतिभू, चतुर्थ प्रतिभू कहे गए हैं ।)

मैं/हम और हमारे में से प्रत्येक संयुक्ततः और पृथकतः भारत के राष्ट्रपति के प्रति ₹० की राशि के लिए और भारत के राष्ट्रपति को ऐसी राशि के संदाय के लिए क्रमशः आबद्ध हूं/हैं ।

इस संदाय के लिये मैं/हम बाध्यताधारी स्वयं का और अपने विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूं/करते हैं और मैं/हम, उपरिनामित प्रथम प्रतिभू, द्वितीय प्रतिभू, तृतीय प्रतिभू और चतुर्थ प्रतिभू स्वयं की ओर अपने विधिक प्रतिनिधियों को पृथकतः आबद्ध करता हूं/करते हैं।

उक्त आबद्ध बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) को उसके/उनके आवेदन सं० तारीख में वर्णित माल को में स्थित बंधपत्रित भांडागार से हटाकर, फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित कारखाने ले जाने और वहां से ऐसे माल को ऐसे निर्मित माल को ऐसे भांडागार ले जाने की अनुज्ञा इस शर्त पर दी गई है कि वह/वे यह कार्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के उपबन्धों का पालन करते हुए करेगा/करेंगे।

इस दस्तावेज की यह शर्त है कि यदि वह बाध्यताधारी या उसके/उनके प्रतिनिधि उक्त नियमों और उसके समय संशोधनों के उपबन्धों का जो समय-समय पर इस प्रकार रूपान्तरित माल के बारे में अनुपालन के लिये समय-समय पर जारी किये जायें, अनुपालन करते है,

और यदि उक्त माल, गन्तव्य स्थान के बंधपत्रित भांडागार (भांडागारों) को, जिसके लिये अनुज्ञा दी गई है, ऐसे समय के भीतर जैसा उचित अधिकारी निदेश दे, हटा दिया जाता है और उनमें पुनः भांडागारित कर दिया जाता है तो,

यह बाध्यता शून्य हो जायेगी।

अन्यथा और इस शर्त में किसी भाग के अनुपालन में भंग या त्रुटि होने पर वह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि यह संदाय ऐसे कार्य के सम्पादन के लिये, जिसमें जोखम हितबद्ध है केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है।

स्थान बाध्यताधार/बाध्यताधारियों के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख प्रतिभू/प्रतिभूओं के हस्ताक्षर

साक्षी (1) पता (1) उपजीविका (1)

(2) (2) (2)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से आज तारीख को स्वीकार किया।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन

उपबंध ४

फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन

सं० तारीख

प्रारूप जी०डी०ए० 1

बंधपत्र के अधीन भांडागारित माल को हटाने के लिए प्रमाणपत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि,

(1) श्री/मैसर्स (नाम और पता) फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में वस्तुतः प्लाट धारक है/हैं,

(2) उसने/उन्होंने रुपये के लिये प्ररूप 5-ख (प्रतिभू) (प्रतिभूति) (साधारण प्रतिभू) (साधारण प्रतिभूति) में एक बंधपत्र सं० तारीख फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन प्राधिकारियों को निष्पादित कर दिया है और इसलिये उसे/उन्हें यह अनुज्ञा दी जा सकती है कि वह/वे (परिमाण तथा उत्पाद शुल्कय माल का उल्लेख करें) को स्थित कारखाने से हटाकर फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में कारखाने को ले जाय/जायें।

(3) स्वामी या उसके/उनके प्राधिकृत अभिकर्ता के अर्थात् के सम्यक रूप से अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर नीचे दिये गये हैं।

सुरक्षा अधिकारी

फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन

स्वामी या उसके प्राधिकृत
अभिकर्ता के नमूना-हस्ताक्षर
(हस्ता०)
अनुप्रमाणित
सुरक्षा अधिकारी

[फा०सं० 71/5 1/88-कस्टम्स-1]

चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, अवर सचिव

No. 238|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 852(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable goods when brought into FALTA Export Processing Zone being a free trade zone (hereinafter referred to as the Zone) from the factories of their manufacture or warehouses situated in other parts of India for use by the industries located in the Zone for the production of goods or in connection with production of goods intended solely for export from the whole of—

(i) the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and

(ii) the additional duty of excise leviable thereon under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957),

subject to the following conditions, namely:—

(a) the consignee is authorised to establish manufacturing unit or units in the Zone;

(b) the consignee brings the excisable goods directly from the factory of manufacture or warehouse;

(c) the entire excisable goods so brought are used by or on behalf of the consignee in the Zone for the production of goods or in connection with the production of goods solely meant for export and all such goods are exported; and

(d) the procedure set out in the Appendix to this notification is followed in the Zone.

2. Notwithstanding anything contained in this notification the goods produced or manufactured in the Zone may be cleared for home consumption outside the Zone in such quantity and subject to such limitations and conditions as may be specified by the Development Commissioner of the Zone (hereinafter referred to as the Development Commissioner), on payment of duty of excise leviable on such goods under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

3. For the purposes of this notification, "FALTA Export Processing Zone" shall comprise the places bearing the survey numbers and enclosed by the boundaries specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 236|85-Central Excises, dated the 15th November, 1985.

APPENDIX

Procedure to regulate 'in bond' movement of duty Free excisable goods for use in the Zone

Application for obtaining duty free goods by plot holders at Falta Export Processing Zone.

(a) Any person intending to obtain duty free goods for use by him in his factory or warehouse situated in the Zone shall make an application in writing to the Development Commissioner in proper form to be prescribed by the Development Commissioner, stating therein the annual quantity of the excisable goods required and the purpose for and the manner in which such goods are intended to be used and declaring that the goods will be used for such purpose and in such manner only. The Development Commissioner or any officer duly authorised by him may grant the application after causing such inquiries to be made as he may deem fit and the applicant shall then enter into a bond in the form given in Annexure D1 to D4 below with such surety or sufficient security, in such amount and under such conditions as the Development Commissioner may approve. The Development Commissioner may, however, allow the annual quantity of excisable goods to be brought as furnished by the manufacturer or such quantity as the Development Commissioner may extend on a request to that effect. The concession shall expire on the 31st December every year, but may be reviewed if the Development Commissioner or a duly authorised officer sees no reason to the contrary :

Provided that, in the event of death, insolvancy or insufficiency of the surety, or where the amount of the bond is inadequate, the Development Commissioner or his duly authorised officer, may, in his discretion, demand a fresh bond, and may, if the security furnished for a bond is not adequate, demand additional security.

After the grant of the applicantion and execution of bond by the applicant, the security officer will issue a certificate, in the form giving in Annexure E below certifying that ;

(i) the applicant is a bonafide plot holder of the Zone ;

(ii) has executed a bond in the form given in Annexure D1 to D4 below with the Zone authorities showing the number and particulars of the bond ; and

(iii) that the specimen signatures of the authorised agent of the importer furnished on the body of the certificate is genuine and he would attest it. The certificate will be sent by the security officer under registered post (acknowledgement due) to the factory or warehouse from which the goods are to be obtained. A copy of the certificate will also be sent by the security officer to the Superintendent of Central Excise in-charge of the range under which the factory or warehouse, from where the goods are to be received, falls.

Removal of goods to FALTA Export Processing Zone

(b) On receipt of the aforesaid certificate the factory or warehouse (consignor) from where the goods have to be removed shall prepare an application in the form given in Annexure A below in quadruplicate for removal of non-duty paid goods from one warehouse to another mentioning clearly the number and date of the bond in Annexure D1 to D4 as per the certificate issued by the Security Officer of the Zone. Removal Application in Annexure A below must be serially numbered. The Serial No. should be according to the financial year. The Serial No. must be noted on all the copies. Whenever any removal application has to be cited in the course of correspondence, the name of the factory or warehouse, the serial number and date of Annexure A below should always be quoted as reference. The consignor shall, however, intimate to the proper officer about the removal of goods at least 12 hours before such removal is expected to take place.

Marking of the packages.

(c) Packages to be marked and address to be noted in the application.

The factory or warehouse of removal (consignors) must—

(i) ensure that packages bear proper marking and number;

(ii) ensure that all copies of Annexure A below are prominently marked "Intended for use in FALTA Export Processing Zone".

(iii) give the full address of the factory or warehouse of removal as well as of the Superintendent of Central Excise in-charge of the range under which the factory or warehouse falls and the Central Excise Collectorate to which it is attached.

Whenever any of these addresses is used for despatching purposes, care must be taken by the despatching factory or warehouse to see that the full address of the Superintendent of Central Excise incharge of the range including the name of the district is properly reproduced.

Preparation of Gate Pass

(d) The consignor shall also prepare a gate pass in form G.P. 2 in Appendix Z to the Central Excise Rules, 1944 in respect of the goods proposed to be removed from his warehouse and will thereafter clear the goods on his own without any verification by any Central Excise Officer.

Disposal of documents in Annexure A and Gate Pass

(e) The consignor shall send the original and triplicate copy of Annexure A below and original copy of the gate pass alongwith the consignment to the consignee. The duplicate copy of Annexure A below will be sent by the consignor to the Development Commissioner. The quadruplicate copy of Annexure A below alongwith a copy of the gate pass will be sent by the consignor to the officer-in-charge of his factory or warehouse within 24 hours of the removal of the consignment in question. The said officer in charge shall maintain an account of all such removals in Annexure E below.

Action at destination

(f) On receipt of the duplicate copy in the Zone's Administrative Office, it must immediately be entered in the "Record of Receipts in bond" given in Annexure C below and forwarded the same day to the Security Officer. The entries in this record should be verified against relative entries of the Record of Raw Materials prescribed by Development Commissioner.

Responsibility for further accounting

(g) After delivery of the non-duty paid excisable goods from a manufacturer in the rest of India to the Plot-holder in the Zone, proper accounting of these goods will be the responsibility of the Zone authorities.

Examination of the consignment on receipt

(h) (1) The consignee must give intimation of the arrival of the consignment at his premises to the Security Officer of the Zone without any delay and should store the same separately and intact, pending examination and check by the Preventive Officer who will be deputed by the Security Officer for this purpose. The preventive officer after taking account of the goods will identify them with the marks and numbers, and weigh the consignment in full. Thereafter, he shall complete the re-warehousing certificate on the duplicate copy received from the Security Officer and original and triplicate copy of the applications presented by the consignee, return duplicate to the Central Excise Officer-in-charge of the factory or warehouse of removal direct and triplicate to the consignee for depatch to the consignor after noting thereon the deficiency or excess, if any.

Duty on shortages/losses in transit.

(2) Since the bond in Annexure D1 to D4 (surety/security/general surety/general security) would have been executed by the consignee, duty on shortages will be demanded from him after condoning the permissible losses in transit. For each commodity a separate schedule of losses will be formulated and issued by the Development Commissioner.

Re-entry

(i) If the duplicate application is received by the Security Officer of the Zone, before the arrival of the goods is reported to him by the consignee, he must keep it pending, securely and systematically filed in a file marked "pending duplicate in Annexure A application" and record the particulars of the consignment in his "Record of receipts in bond" prescribed as in Annexure C below and no sooner the consignment is received, he will follow the procedure prescribed in paragraph (h) above.

Duty leviable on excisable goods not duly accounted for as having been utilised in the manufacture of goods for export, etc.

(j) if any excisable goods obtained under this procedure are not duly accounted for as having been utilised in the production of goods or in connection with the production of goods meant for export only, or are not shown to the satisfaction of the proper officer to have been lost or destroyed by natural causes or by unavoidable accidents during storage or handling in the approved premises, or, have been permitted to be disposed of as refuse or wastage within the permissible limits prescribed by the Development Commissioner, the applicant shall, on demand by the proper officer, immediately pay the duty leviable on such goods. The concession may at any time be withdrawn by the Development Commissioner if a breach of the procedure is committed by the applicant, his agent or any person employed by him. In the event of such a breach, the Development Commissioner may also order the forfeiture of the security deposited under paragraph (a) above and may also confiscate the excisable goods and all goods manufactured from such goods in store in the premises of the applicant.

Despatch of duplicates by registered post acknowledgement due.

(k) Despatch of the duplicate application in Annexure A referred to in paragraph (e) above must always be made by registered post acknowledgement due, and the postal receipt acknowledgement must be systematically filed by the consignor and presented for inspection to the Superintendent of Central Excise in-charge of the factory whenever required.

Demand of duty on goods not reaching destination

(l) Under sub-rule (1) of rule 156-B of the Central Excise Rules, 1944, if the certificate of re-warehousing of a consignment of excisable goods despatched to the consignee at the Zone [as per paragraph (h) (1)] is not received back by hte consignor within 90 days of the removal of the goods or within such extended period as may be allowed by the Collector of Central Excise it is the responsibility of the consignor to himself pay the duty leviable on the consignment by a debit entry in his account current. However, a provision has been made that in such cases where the consignor produces proof re-warehousing to the satisfaction of the proper officer after payment of duty in the manner indicated above, he will be eligible for grant of refund of the duty so paid by making an application.

The Officer-in-charge of the factory or warehouse may also demand duty on a consignment the re-warehousing certificate in respect of which has not been received within the stipulated period. In such cases if the consignor has already paid the duty leviable on the consignment by a debit entry in his account current, he may intimate the officer-in-charge about the particulars of such deposit in reply to this notice of demand.

Action by the officer-in-charge of the factory or warehouse of removal in case of non-receipt of the warehousing certificates.

(m) If the duplicate copy of Annexure A below [see paragraph h (1)] is not returned to the officer-in-charge of the factory or warehouse of removal within a month of the removal of consignment reminders must be issued regularly at fortnightly intervals to the security officer of the zone. If, despite such reminders the duplicate application is not received within two months of the date of removal of the consignment, the matter should be reported to the Assistant Collector of Central Excise in whose charge the consignor operates who must immediately communicate with the Assistant Collector of Customs of the Zone and either secure a satisfactory proof of the consignment having been duly received by the importer at the Zone or ensure that the duty properly due on the goods not so received at destination is recovered as per paragraph (1) above.

Verification of the use of non-duty paid goods.

(n) On receipt by the consignee, such goods shall be utilised in the production of goods or in connection with the production of goods intended (solely) for export. It shall be the responsibility of the Assistant Collector of Customs|Security Officer of the zone to ensure that all non-duty paid goods have been fully utilised for the production of goods or in connection with the production of goods intended for export only or are otherwise accounted for to the satisfaction of the Development Commissioner.

Range———————— Original
Duplicate
Triplicate
Quadruplicate

ANNEXURE A

FORM A.R. 3—A

Application for removal of excisable goods from a bonded warehouse in India to a plot in the Falta Export Processing Zone.

I/We holder(s) of Central Excise Licence No.....in Form.....apply for leave to remove the undermentioned goods from the warehouse at.....to the Factory at Plot No.....of Sector No.....of Mr./Messrs.....of the FALTA Export Processing Zone.

Number and date of entry in warehouse register	Description of Goods	No. and description of packages	Gross weight of packages	Marks and numbers of packages	Quantity of goods
1	2	3	4	5	6

Date of first warehousing (in the case of tobacco only)	Value	Daty		Manner of transport	Remarks
		Rate	Amount		
7	8	9	10	11	12

1. To be entered by the consignor/owner or his authorised agent in words and figures.
2. The aforesaid Mr./Messrs.....have executed a bond at destination; in Form B-5A (Surety or Security)/or B-5 (Gen-Sur) or (Gen-Sec) bearing No.....dated..... for rupees

Delete the entries not applicable.

A certificate from the Central Excise Officer of Central Excise in Form C.T. 3 is attached.

3. I/We hereby declare the above particulars to be true.

Place :

Date :

Signature of Consignor(s)/Owner(s) or his/ their authorised agent.

(1) Certificate of Central Excise Officer & Warehouse of Removal

To

The Security Officer,

FALTA EXPORT PROCESSING ZONE,

CALCUTTA.

I hereby certify that the consignment conforms in all respects to the description given above and I have permitted removal under Transport Permit in Form G.S. No.

Dated

Place

Date

Inspector of Central Excise

(2) Certificate of Preventive officer at Warehouses at FALTA Export Processing Zone.

I hereby certify that the consignment arrived at Plot No.....of sector..... of the Flata Export Processing Zone and that the goods conform in all respects to the description given above/ overleaf/except for the following discrepancies and that they have been re-warehoused under Entry No..... dated.....of the Raw Materials Account Register prescribed by the Development Commissioner, Falta Export Processing Zone.

Place :

Date :

Preventive Officer

Falta Export Processing Zone

ANNEXURE B

Record of Removals in Bond

RANGE OFFICER

Sl. No.	A.R. 3 No. & Date	Name, Address & L. 4 of the factory of removal	GOODS		DESTINATION	
			Description	Net quantity despatched	Name address and L. 4 No. of the factory of Falta Export Processing Zone.	Plot No..... Sector No.....
1	2	3	4	5	6	7

Duplicate A.R. 3

No. and date of B-5A bond and by whom executed (consignor or cansignee)	Date of Despatch to Security Officer at destination	Date of reminders issued for return	Date of return of duplicate	Date of despatch to Circle Officer of origin for record
8	9	10	11	12

Whether triplicate A.R. 3 received by consignor from consignee Yes/No	Date of re-ware-housing	Gain (Plus) or Loss (Minus) in transit		Action taken on loss, if bond taken from consignor	Remarks
		Total	Percentage of Co. 5		
13	14	15	16	17	18

ANNEXURE C

FALTA EXPORT PROCESSING ZONE ADMINISTRATION

Record of receipts in Bond

(for Falta Export Processing Zone)

Sl. No.	No. and date of		Description of goods	Rate of duty
	A.R. 3A	Gate Pass		
1	2	3	4	5

No. of packages	Net Quantity	Name L. 4 No. and address of cansignor	Duplicate A.R. 3	
			Date of receipt	Date of return
6	7	8	9	10

Gain (Plus) or Loss (Minus) in transit		Action taken on loss if bond taken from consignee	Remarks
Total	Percentage of col. 7		
11	12	13	14

ANNEXURE D-I

FORM B-5 A—(SURETY)

Bond (with surety) for the due arrival and re-warehousing of excisable goods removed from a warehouse in India to a factory in the Falta Export Processing Zone.

(Delete letters and words not applicable)

I/We(I).....of.....[hereinafter called the obligor(s)] and (2) I/We.....of (hereinafter called the surety) are jointly and severally bound to the President of India in the sum of.....rupees to be paid to the President of India or which payment we jointly and severally bind ourselves and our legal representatives.

The above bounded obligor(s) being permitted to remove the goods described in his/their application No..... dated.....from the bonded warehouse at..... to the Factory at Plot No..... Sector No.....of the Falta Export Processing Zone.

The condition of this Bond is that if the obligor(s) and his/their legal representatives shall observe all the provisions of the Central Excise Rules, 1944, and all such amendments thereto, as may be issued from time to time to be observed in respect of the goods so transferred;

And,if all the said goods are duly removed to and re-warehoused at the factory at FALTA EXPORT PROCESSING ZONE. before the.....day of.....198

This obligation shall be void.

Otherwise and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force.

I/We declare that this bond is given under the orders of the Central Government for the performance of an act in which the public are interested.

Place :

Date : Signature(s) of Obligor(s)

Witness :	Address	Occupation
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)

Place :

Date : Signature of Surety

Witnesses :	Address	Occupation
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)

Accepted by me this.....day of.....198

.....of Central Excise
of Falta Export Processing Zone.

(for and on behalf of the President of India)

ANNEXURE D-2

FORM B-5 A—(SECURITY)

Bond (with security)for the due arrival and rewarehousing of excisable goods removed from a bonded warehouse in India to a factory in the Falta Export Processing Zone.

(Delete the letters and words not applicable)

I/We.....of.....[hereinafter called the obligor(s)]
.....am.....bonded
are jointly and severally
to the President of India in the sum of.....rupees
to be paid to the President of India for which payment.....I.....bind myself/
(we jointly and severally)
ourselves and my/our legal representatives.

The above bounden obligor(s) being permitted to remove the goods described in his/their application No.....
.....dated.....from the bonded warehouses at.....
to the factory of.....at.....Plot No.....
.....Sector No.....at Falta Export Processing Zone.

Whereas the Collector of Central Excise at.....(hereinafter called the Colletctor)/Development Commissioner, Falta Export Processing Zone (hereinafter, called the Development Commissioner) has required the obligor(s) to deposit, a guarantee for the amount of this bond
the sum of..... rupees
the securities as hereinafter mentioned of a
in cash.....rupees endorsed in favour of the
total/face value
Collector/Development Commissioner, namely

Whereas the obligor(s) has/have furnished such guarantee by depositing with the Collector/Development Commissioner the cash/securities as aforementioned;

The condition of this Bond is that if the obligor(s) and his/their legal representatives shall observe all the provisions of the Central Excise Rules, 1944, and such amendments thereto, as may be issued from time to time tc be observed in respect of the goods so transferred;

And if all the said goods are duly removed to and re-warehoused at.....before
the.....day of.....198

This obligation shall be void.

Otherwise and on breach or failure in the performance of any part of the condition the same shall be in full forces.

And the President of India, shall, at his option, be competent to make good all the loss and demages either from the amount of the guarantee deposit or by enforcing his rights under the above written bond or by both.

I/We declare that this bond is given under the orders of the Central Government for the performance of act in which the public are interested.

Place :
Date : Signature(s) of obligor(s)

Witnesses :	Address	Occupation
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)

Accepted by me this.....day of.....198

———— the Central Excise
of Falta Export Preocessing Zone.

(for and on behalf of the President of India)

ANNEXURE D-3

FORM B-5 (GEN-SEC.)

General Bond (with security) for the due arrival and rewarehousing of excisable goods removed from a bonded warehous in India to a factory in the Falta Export Processing Zone.

(Delete the letters and words not applicable.)

I/We..... [hereinafter called the
am
obligor(s)].....bound to the President of
are jointly and severally
India in the sum of.....rupees to be paid to the President of India for whic h
I
payment.....bind myself/ourselves and my
we jointly and severally
our legal representatives.

The above bounden obliger(s) being permitted to removes from time time, conditional on the provisions of the Central Excise Rules, 1944 being observed, from bonded warehouse (s) at.....to a factory in Flata Export Processing Zone or vice versa.

Whereas the Collector of Central Excise at.....(hereinafter called the collector)/Development Commissioner Flata Export Processing Zone (hereinafter called the Development Commissioner) has required the obligor(s) to deposit at guarantee for the amount of this bond the sum of Rs.....rupees in cash.

the securities as

hereinafter mentioned of a total face value of.....rupees endorsed in favour of the Collector/ Development Commissioner, namely.....

And whereas the obligor(s) has/have furnished such guarantee by depositing with the Collector/Development Commissioner the cash/securities at afore mentioned. The condition of the bond is that if the obliger(s) or his/their representative shall observe all the provisions of the said Rules and all such amendments thereto as maybe issued from time to time to be observed in respect of the goods so removed from time to time.

And if the said goods are duly removed to and re-warehoused at the bonded warehouse(s) of destination to which it is permitted to be removed within such time as the proper officer directs;

This obligation shall be void.

Otherwise and on breach or failure in the performance of any part of this condition. the same shall be in full force.

And the president of India shall at his option be competent to make good all the loss and damages either from the amount of the guarantee deposit or by on forcing his rights under the above written bond or by both.

I/We declare that the bond is given under the orders of the Central Government for the performance of an act in which the public are interested.

Place:

Signature(s) of Obligor(s)

Date :

Witnesses :	Address :	Occupation :
(1)	(1) ————	(1)
	————	
(2)	(2) ————	(2)
	————	

Accepted by me this.....day of 198 .

.....of Central Excise
of Flata Export Precessing Zone.

(for and on behalf of the President of India)

ANNEXURE-D-4

FORM B-5-A(GEN-SUR)

General bond (with sureties) for the due arrival and re-warehousing of excisable goods removed from a bonded warehouse in India to a factory in the Falta Export Processing Zone.

(Delete the letters and words not applicable).

I/We of.....[hereinafter called the obligor(s)] am/are bound to the president of India.in the sum of.....rupees

(i) I/We(hereinafter called the "First Surety").

(ii) and I/We(hereinafter called the "Second Surety").

(iii) and I/We (hereinafter called the "Third Surety").

(iv) and I/We.....(hereinafter called the "Fourth Surety").

(all hereinafter collectively referred to as the First Surety, the Second Surety, the Third Surety, the Fourth Surety) am/are each of us severally bound to the President of India for in the sum of rupees.....each /respectively be paid to the President of India for which payment I/We the obligonr/obligors bind myself/ourselves and my/our legal representatives and I/We the above named First Surety, the Second Surety, the Third Surety and the Fourth Surety, severally bind myself/ourselves and my/our legal representatives.

The above bounden obligor(s) being permitted to remove from time to time, conditional on the prosvisions of the Central Excise Rules, 1944 being observed.....from the bounded warehouse(s) at.....to a factory situated in the Flata Export Processing Zone and vice versa.

The condition of this bond is that if the obliger(s) and his/their legal representatives shall observe all provisions of the said Rules and all such amendments thereto as may be issued from time to time.

And if the said goods are duly removed to and rewarehoused at the bonded warehouse(s) of destination to which they are permitted to be removed within such time as the proper officer directs.

This obligation shall be void.

Otherwise, and on breach or failure in the performance of any part of the condition, the same shall be in full force.

I/We declare that this bond is given under the orders of the Central Government for the performance of an act in which public are interested.

Place :

Signature(s) of obligor(s)

Date:

Witnesses :	Address :	Occupation :
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)

Place :

Signature(s) of Surety(ies).

Date :

Witinesses :	Address :	Occupation :
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)

Accepted by me this.....day of.....198 .

of Central Excise

.....

of Falta Export Processing Zone.

(for and on behalf of the President of India)

ANNEXURE-E

FALTA EXPORT PROROCESSING ZONE

.....

No.....

Date.....

FORM C-T-3

CERTIFICATE FOR REMOVAL OF WAREHOUSED GOODS UNDER BOND

This is to certify that;

(1) Mr./Messrs..... (name and address) is/are bonafide plot-holders in the Falta Export Processing Zone;

(2) that he/they has/have executed a bond in Form B-5A/B-5 (surety) / (security) (General surety) (general security). No.....date for Rs.....with the Falta Export Processing Zone Authorities and as such, may be permitted to remove.....(Qty.) of.....(excisable goods) from the factory at.....to his factory.....in the Falta Export Processing Zone.

(3) that the specimen signatures of his/their authorised agent namely Shri.....are furnished herebelow duly attested;

SECURITY OFFICER

FALTA EXPORT PROCESSING ZONE

Specimen Signatures of
owner of his
authorised agent.

Sd/-

Attested

Security Officer.

[F. No. 71/52/85-C/2]

CHANDRA P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985